सप्तदश माला, खंड 25, अंक 3 **सोमवार, 24 जुलाई, 2023**
2 श्रावण, 1945 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

बारहवां सत्र

(सत्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 25 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

संपादक मंडल

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

ममता केमवाल
संयुक्त सचिव

अमर सिंह
निदेशक

ब्रजेश कुमार
संयुक्त निदेशक

संदीप कुमार
उप निदेशक

© 2023 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण का अनुवाद कृत्रिम मेधा (Artificial Intelligence**) आधारित सॉफ्टवेयर एप्पलीकेशन की सहायता से किया गया है और सटीक अनुवाद उपलब्ध कराने के लिए यथोचित प्रयास किए गए हैं। तथापि,** हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

विषय-सूची

सप्तदश माला, खंड 25, बारहवां सत्र, 2023 / 1945 (शक)
अंक 3, सोमवार, 24 जुलाई, 2023 / 2 श्रावण, 1945 (शक)

विषय	पृष्ठ संख्या
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
* तारांकित प्रश्न संख्या 41 से 45	15-27
प्रश्नों के लिखित उत्तर	28
तारांकित प्रश्न संख्या 46 से 60	28
अतारांकित प्रश्न संख्या 461 से 690	28

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

सभा पटल पर रखे गए पत्र 29-59

कार्य मंत्रणा समिति

42 वां प्रतिवेदन 60

परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति

348वें से 351वां प्रतिवेदन 61

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य 62

(एक) राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) से संबंधित वित्त संबंधी स्थायी समिति के 55वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री पंकज चौधरी 62

(दो) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23) से संबंधित गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 241वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री बी.एल. वर्मा 62

समिति के लिए निर्वाचन

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कोर्ट 63

डी.एन.ए. प्रौद्योगिकी (प्रयोग और लागू होना) विनियमन विधेयक, 2019 64-65

सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित 66-69

(एक) राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग विधेयक, 2023 66

(दो) राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक, 2023 67-68

(तीन) संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023 69

नियम 377 के अधीन मामले 72-101

(एक) महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन से संबंधित सॉफ्टवेयर को आसान बनाए जाने की आवश्यकता

श्री नारणभाई काछड़िया 72-73

(दो) बनासकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के धनेरा रेलवे स्टेशन पर रेलगाडी संख्या 14803/14804 का ठहराव प्रदान किए जाने की आवश्यकता

74

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल

(तीन) महाराष्ट्र के वर्धा जिले में कथित नकली बीज मामले की जांच के लिए सी.बी.आई. जांच की आवश्यकता

श्री रामदास तडस 75

(चार) आई.टी.आई. को बंद किए जाने के बारे में

श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे 76

(पांच) उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित देवरही माता मंदिर को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता

डॉ. रमापति राम त्रिपाठी 77

(छह) ओडिशा के जलेश्वर में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की स्थापना के बारे में

श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी 78

(सात) माल्दहा उत्तर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गंगा और फुलहर नदी की बाढ़ और भूमि कटाव के बारे में

श्री खगेन मुर्मु 79

(आठ) गंगानगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को तत्काल केंद्रीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री निहाल चन्द चौहन 80

(नौं) छत्तीसगढ़ के रायपुर में एम्स के संकाय सदस्य के कथित उत्पीड़न की जांच की आवश्यकता

श्री मोहन मण्डावी 81

(दस) छत्तीसगढ़ में 'हर घर नल योजना' के क्रियान्वयन के बारे में
श्री सुनील कुमार सोनी 82

(ग्यारह) नॉर्थ कोयल जलाशय परियोजना के निर्माण में तेजी लाए जाने और परियोजना के कारण विस्थापित लोगों को मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता
श्री विष्णु दयाल राम 83

(बारह) सोशल मीडिया को विनियमित किए जाने की आवश्यकता
श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे 84

(तेरह) महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में संलिप्त अपराधियों को दण्डित करने हेतु कड़े कानून का उपबंध किए जाने के बारे में
श्रीमती जसकौर मीना 85

(चौदह) पश्चिम बंगाल के राधिकापुर में भूमि आव्रजन जांच चौकी को पुनः खोले जाने की आवश्यकता
सुश्री देबाश्री चौधरी 86

(पन्द्रह) ग्वालियर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रदूषित जल के कारण कैंसर रोगियों के बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए उपचारी उपाय किए जाने की आवश्यकता
श्री विवेक नारायण शेजवलकर 87

(सोलह) पश्चिम बंगाल में चुनाव संबंधी हिंसा के बारे में
श्रीमती लॉकेट चटर्जी 88

(सत्रह) केरल के मुथालापोझी फिशिंग हार्बर में हुई घातक दुर्घटनाओं के बारे में
एडवोकेट अदूर प्रकाश 89

(अठारह) पुडुचेरी और कराईकल के ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए तटवर्ती ग्रेनाइट पत्थर बैरियर के निर्माण की आवश्यकता
श्री वी. वैथिलिंगम 90

(उन्नीस) केरल के ओट्टापलम एवं पट्टाम्बी में रेलगाड़ी के ठहराव के बारे में

श्री वी.के. श्रीकंदन 91

(बीस) केंद्र सरकार की सेवाओं में भर्ती के लिए तमिल भाषा में विभिन्न परीक्षाएं आयोजित किए जाने और तमिलनाडु के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की आवश्यकता

श्री सी. एन. अन्नादुरई 92

(इकीस) उलूबेरिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में शटलकॉक निर्माताओं के समक्ष आ रही समस्याओं के बारे में

श्रीमती साजदा अहमद 93

(बाईस) आंध्र प्रदेश में कोटिपल्ली - नरसापुरम रेलवे लाइन के पूरा होने के बारे में

श्री रघु राम कृष्ण राजू 94

(तेईस) छात्रों के प्रवासन को रोकने के लिए देश में उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे 95

(चौबीस) बिहार के औरंगाबाद जिले के पुनपुन नदी पर पुल निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री महाबली सिंह 96

(पच्चीस) ओडिशा के क्योंझर जिले में जनजातीय लोगों के लिए शैक्षणिक सुविधाओं के बारे में

कुमारी चंद्राणी मुर्मु 97

(छब्बीस) दलितों पर हो रहे अत्याचारों पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता

श्री मलूक नागर 98

(सत्ताईस) खगड़िया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रेलवे स्टेशनों पर रेलगाड़ी का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता

चौधरी महबूब अली कैसर 99

(अट्ठाईस) मणिपुर में हिंसा की हाल की घटना के बारे में

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले 100

(उनतीस) वस्त्र क्षेत्र को गति देने के उपायों के बारे में

श्री पी.आर. नटराजन 101

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री ओम बिरला

सभापति तालिका

श्रीमती रमा देवी

डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी

श्री राजेन्द्र अग्रवाल

श्री कोडिकुन्नील सुरेश

श्री ए. राजा

श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी

श्री भर्तृहरि महताब

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन

डॉ. काकोली घोष दस्तीदार

महासचिव

श्री उत्पल कुमार सिंह

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

सोमवार, 24 जुलाई 2023 / 2 श्रावण, 1945 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न काल।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप बोलिए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, हम बहुत विनम्रता के साथ एक छोटी-सी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। हम पहले दिन से यह बोलते आ रहे हैं कि आज मणिपुर की हालात को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर साहब सदन में आकर एक *सुओ मोटो* स्टेटमेंट दें। ... (व्यवधान) इससे आसमान तो नहीं टूट पड़ेगा। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: एक मिनट, प्रहलाद जी बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैंने आपकी बात सुन ली। अब आप बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप जिस विषय को उठाना चाहते हैं, उस पर सारा सदन चर्चा करने के लिए तैयार है। आप अभी बारह बजे के बाद चर्चा शुरू कीजिए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: कौन आकर जवाब देगा, यह आप तय करने वाले नहीं हैं। उस विभाग के जो मंत्री हैं, वे जवाब देंगे।

… (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): माननीय प्रधान मंत्री जी ने इस घटना पर अपनी पीड़ा व्यक्त की है। माननीय रक्षा मंत्री जी ने भी कहा है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सदन के उपनेता ने भी पूर्व में कहा था कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। मैंने अभी तक अध्यक्षपीठ से नहीं बोला था, लेकिन आपने विषय उठाया है, इसलिए मेरा आग्रह है कि आप सदन को चलाएं।

… (व्यवधान)

श्री प्रहलाद जोशी: अध्यक्ष महोदय, हम तुरंत चर्चा करने के लिए तैयार हैं। ये चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? इनको एक्सप्लेन करना चाहिए। ... (व्यवधान) ये क्या बोल रहे हैं? सरकार चर्चा के लिए तैयार है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, चर्चा, संवाद और बातचीत से ही समस्या का समाधान होगा। आप जिन लोगों और जिन मुद्दों के लिए चर्चा करना चाहते हैं, उन पर चर्चा से ही समाधान निकलेगा।

… (व्यवधान)

श्री प्रहलाद जोशी: अध्यक्ष महोदय, मैं रिकॉर्ड में लाना चाहता हूं कि नार्थ ईस्ट के एमपीज मेरे पास आकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मणिपुर पर चर्चा करो। ... (व्यवधान) इसके बावजूद भी ये चर्चा नहीं कर रहे हैं। इनकी मंशा क्या है? इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य केवल सदन की कार्यवाही को बाधित करने का है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं आपका आग्रह मान रहा हूं। सरकार भी चर्चा करने के लिए तैयार है। सदन के नेता माननीय राजनाथ सिंह जी भी एक बार आग्रह कर दें।

… (व्यवधान)

<u>पूर्वाह्न 11.03 बजे</u>

इस समय श्री बी. मणिक्कम टैगोर, श्री ए. राजा, प्रो. सौगत राय, श्री कौशलेंद्र कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

[हिन्दी]

रक्षा मंत्री (श्री राज नाथ सिंह): अध्यक्ष महोदय, हम मणिपुर के विषय पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।... (व्यवधान) लेकिन, फिर भी प्रतिपक्ष हमारी बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। मैं यह मानता हूं कि मणिपुर जैसी गंभीर घटना के प्रति जो चर्चा होनी चाहिए, उसके प्रति प्रतिपक्ष गंभीर नहीं है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, यह सदन चर्चा और संवाद के लिए है। आपको जनता ने पोस्टर लेकर आने के लिए नहीं भेजा है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं चर्चा कराने के लिए तैयार हूं। पहले प्रश्न काल होगा। प्रश्न काल के बाद चर्चा होगी। प्रश्न काल महत्वपूर्ण है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: क्या आप चर्चा करना चाहते हैं? आप चर्चा नहीं करना चाहते हैं? आपके नेता ने चर्चा के लिए कहा है और सरकार भी चर्चा के लिए तैयार है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, नारेबाजी से किसी समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। आप जिनके साथ न्याय करना चाहते है, उनके लिए चर्चा, संवाद करें तथा अच्छे सुझाव दें। सरकार उन

सुझावों के आधार पर काम करेगी। सारा सदन सामूहिकता के साथ मिलकर चर्चा और संवाद करके समस्या का समाधान निकाले, सरकार उसे लागू करेगी।

… (व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.05 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर[1]

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न काल।

प्रश्न संख्या 41, श्री सुब्रत पाठक जी।

… (व्यवधान)

(प्रश्न सं. 41)

श्री सुब्रत पाठक : महोदय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्र और राज्य सरकारों की परियोजनाएं पर्यावरणीय स्वीकृति के अभाव में विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के पास लंबित हैं? यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?... (व्यवधान)

उत्तर प्रदेश और बिहार की उन योजनाओं/परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है, जो मंत्रालय के विचाराधीन हैं? इनकी वर्तमान स्थिति क्या है और मंत्रालय द्वारा इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?... (व्यवधान)

---

[1] **प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं।** https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फिल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

श्री भूपेन्द्र यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर 153 परियोजनाएं लंबित हैं। माननीय सदस्य ने उत्तर प्रदेश और बिहार के बारे में जो प्रश्न पूछा है, उसका भी उत्तर लिखित रूप से विस्तार में दिया गया है।... (व्यवधान)

श्री सुब्रत पाठक : महोदय, पर्यावरण की दृष्टि से मेरे कन्नौज लोक सभा क्षेत्र में कई बड़ी-बड़ी झीलें हैं। विशेष रूप से रसूलाबाद तहसील में इटैली झील और कन्नौज में लाख बहोसी पक्षी विहार है ।... (व्यवधान) पर्यावरण की दृष्टि से उनका उद्धार किया जाए और वहां जो कई जमीनों पर कब्जा हुआ है, उनको भी मुक्त कराया जाए।... (व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, वह एन्वॉयरमेंट क्लीयरेंस से संबंधित नहीं है, वह झीलों से संबंधित है। अगर वह इस विषय को मेरे संज्ञान में लाएंगे, तो मैं निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करूंगा।... (व्यवधान)

श्री खगेन मुर्मु : महोदय, राज्यों और संघ सरकारों द्वारा प्रस्तावित 153 प्रस्तावों में से कितने प्रस्ताव स्वीकार किए हैं तथा क्या कार्रवाई की गई है? हमारे देश में पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाली फैक्ट्रियों और कंपनियों पर क्या कोई कठोर कार्रवाई की गई है? यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?... (व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो ब्यौरा मांगा है, वह लिखित में अनुबंध - 1 के रूप में लगाया गया है, जिसमें राज्यानुसार कुल 153 परियोजनाएं इस समय हमारे मंत्रालय में लंबित हैं। उनकी जानकारी दे दी गई है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 42, इंजीनियर गुमान सिंह दामोर।

(प्रश्न संख्या 42)

इंजीनियर गुमान सिंह दामोर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जनजातीय मंत्रालय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मूल प्रश्न का बहुत अच्छा जवाब दिया है। मैंने जो सवाल किया था, इसमें सारी बातें सम्मिलित हैं।... (व्यवधान)

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार से जनजातीय क्षेत्रों में निजी संस्थाएं धर्मांतरण का काम करती हैं और जनजातीय संस्कृति को नष्ट करती हैं, सरकार तो प्रयास कर ही रही है, क्या इस क्षेत्र में निजी संस्थाओं के सहयोग से धर्मांतरण को रोका जा सकता है और जनजातीय संस्कृति का संरक्षण किया जा सकता है?... (व्यवधान)

श्री अर्जुन मुंडा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को विस्तृत ढंग से उत्तर दे दिया गया है। माननीय सदस्य ने जो चिंता जाहिर की है, जैसा कि मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में इस बात का उल्लेख करते हुए कहा है कि जो जनजातीय क्षेत्र हैं, उनके जो विशेष प्रावधान हैं, उस संबंध में राज्यों में जनजातीय सलाहकार परिषद हैं।... (व्यवधान) उनको ऐसे विषयों पर चर्चा करने के लिए संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं। राज्यों को ऐसे मामलों पर गंभीरता से विचार करते हुए यह ध्यान में रखना चाहिए कि उनकी संस्कृति और परंपराएं बनी रहें।... (व्यवधान)

इंजीनियर गुमान सिंह दामोर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या जनजातीय संस्कृति और रीति-रिवाजों के संरक्षण संबंधी उपायों को जनजातीय क्षेत्रों के स्कूलों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाएगा?... (व्यवधान)

श्री अर्जुन मुंडा : आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो नई शिक्षा नीति प्रस्तुत की गई है और अभी मानव संसाधन विकास मंत्री ने जो प्रयत्न किया है, उसमें जनजातीय क्षेत्रों की भाषाओं को संवर्धित और संवर्धन करना तथा ऐसी चीजें, जिनसे उनकी सांस्कृतिक विरासत बनी रहे, इन सारी

चीजों के लिए राज्य सरकारों को भी निर्देश दिया गया है। इसके तहत पाठ्यक्रमों में राज्य स्तर और केन्द्रीय स्तर काम चल रहा है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या आप जनजातीय संस्कृति पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या आप जनजातीय क्षेत्र के लोगों के मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप इतने महत्वपूर्ण विषय पर प्रश्न काल में चर्चा नहीं करना चाहते हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 43, श्री सुधीर गुप्ता।

(प्रश्न संख्या 43)

श्री सुधीर गुप्ता : माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और देश की वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि मेरे प्रश्नों का बहुत ही विस्तृत उत्तर दिया गया है।... (व्यवधान) मैं जानना चाहता था कि सरकारी बैंकों के माध्यम से देश के वित्तीय प्रबंधन में कहां-कहां सुधार हुआ है? बैंकों ने पीएम स्वनिधि, किसान क्रेडिट कार्ड, स्टैण्ड-अप इण्डिया और प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से करोड़ों लोगों को जोड़ा है। ... (व्यवधान)

इसके साथ-साथ स्वनिधि स्कीम से कोविड में प्रभावित लाखों-करोड़ों वेण्डर्स को इसके साथ जोड़कर देश के विकास को आगे बढ़ाया है और बैंकों ने वित्तीय सुधार भी किए हैं। ... (व्यवधान) इसलिए मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 1 लाख 4 हजार 650 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड शुद्ध लाभ अर्जित किया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या बैंकों का यह प्रबंधन ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को आधार बनाकर दो हजार की आबादी तक बैंकों का विस्तार करने की कोई योजना भविष्य में है? … (व्यवधान)

डॉ. भागवत कराड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे हमारे सदस्य ने बताया कि बैंकों का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा हो रहा है और ग्रामीण क्षेत्र, पर्टिकुलर्ली फार्मिंग सेक्टर में विकसित होने के लिए रीजनल रूरल बैंक के माध्यम से हमेशा उसका रिव्यू लिया जाता है। ... (व्यवधान) रिव्यू के बाद किसान हो, प्राइमरी लेडिंग के लिए बैंक बोर्ड हो या सरकार के माध्यम से जो स्कीम चल रही है, उसमें परफॉर्मेंस कैसे बढ़े, इस पर काम किया जाता है। ... (व्यवधान)

श्री सुधीर गुप्ता : माननीय मंत्री जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि आज देश में लाखों लोगों को आपने वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं और जिन योजनाओं के माध्यम से जिन लोगों को जोड़ा है, क्या एक ऐसा वित्तीय अनुशासन निर्मित हो सकता है कि लोन जिस उद्देश्य से लिया गया है, वह रोजगार बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं या नहीं? क्या इसके लिए कोई खाका तैयार है? … (व्यवधान)

डॉ. भागवत कराड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में वित्त मंत्रालय ने जो अलग-अलग स्कीम्स चालू की हैं, मैं उनमें बताना चाहता हूं कि चाहे मुद्रा लोन हो, स्वनिधि योजना हो या

सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हों, इन्हीं के माध्यम से छोटे उद्योगों या बड़े उद्योगों को वित्त या अर्थ मिलता है और इस माध्यम से रोजगार भी बढ़ा है। ... (व्यवधान) मैं बताना चाहूंगा कि एमएसएमई के माध्यम से लगभग 1 करोड़ 13 लाख रोजगार उपलब्ध हुए हैं और मुद्रा योजना के माध्यम से लगभग 42 करोड़ ऋण उपलब्ध कराए गए। इसमें हर क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध हो रहे हैं। जैसे प्रधान मंत्री जी के माध्यम से रोजगार सम्मेलन लग रहे हैं, वैसे ही प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार उपलब्ध हो रहा है और लोगों को इसका फायदा हो रहा है। ... (व्यवधान)

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उनके कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारे देश में बैंकों ने एक ट्रिलियन रुपये का शानदार मुनाफा अर्जित किया है।... (व्यवधान) बैंकों ने इस बार पहली बार इतने बड़े पैमाने पर मुनाफा हासिल किया। सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों का प्रदर्शन गत वर्ष अत्यंत उत्कृष्ट एवं सराहनीय रहा, लेकिन माननीय मंत्री जी मैं आपका ध्यान एक समस्या की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। देश में करोड़ों गरीब, कमजोर वर्ग तथा मध्यम वर्ग के व्यक्ति अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं और पूर्ति के लिए ऋण लेते हैं। ... (व्यवधान)

दुर्भाग्यवश कई बार कुछ व्यक्ति कुछ समय के लिए ऋण चुकाने के लिए असमर्थ हो जाते हैं, कई व्यक्ति क्रेडिट कार्ड ईएमआई चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं और आकस्मिक परिस्थितियों जैसे बीमारी, व्यापार में घाटा इत्यादि के कारण समय पर ईएमआई नहीं चुका पाते हैं। ऐसे मामलों में यह देखा गया है कि उन लोगों की तरफ बैंकों का रवैया सहानुभूतिपूर्ण नहीं रहता है और इसकी बजाए वे उनको सूदखोरों की तरह ब्याज पर ब्याज लगाकर ऋण के बोझ के तले दबा देते हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण होने के पूर्व देश में साहूकारों और सूदखोरों का आतंक था। ईएमआई चुकाने के लिए अस्थायी रूप से विफल रहने वालों से बैंक कर्मी ऋण की दुर्भाग्यपूर्ण रिकवरी करते हैं।

अत: मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इन शोषणकारी तरीकों से देश के सामान्य जन को बचाने के लिए क्या सरकार बैंकों को निर्देश देगी तथा बैंकों के इस निरंकुश और मनमाने रवैये पर नियन्त्रण लगाने के लिए सरकार क्या करेगी?

डॉ. भागवत कराड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दो प्रश्न पूछे हैं। पहले प्रश्न के उत्तर में मैं बताना चाहूंगा कि हरेक बैंक का बैंक बोर्ड रहता है और उस बैंक के सिम्पल इंट्रेस्ट और कम्पाउण्ड इंट्रेस्ट के बारे में बैंक बोर्ड और बैंक के अधिकारी डिसीजन लेते हैं। इसलिए सरकार उसमें इंटरफेयर नहीं करती है। लोगों को साहूकारों से बचाने के लिए, साहूकारों के कर्जों से बचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं, जिनमें वे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में अप्लाई करने पर गरीब लोगों को लोन मिलता है, पैसा मिलता है।

[अनुवाद]

वित्त मंत्री और कारपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण): मेरे माननीय सहयोगी ने उत्तर दे दिया है। मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहती हूं। माननीय सदस्य ने एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा उठाया है। मुझे पता है, मैंने इस बारे में शिकायतें सुनी हैं कि कुछ बैंकों द्वारा बिना किसी दया के पैसे वसूले जाते हैं, चाहे वे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हों या निजी क्षेत्र के। सरकार ने आर.बी.आई. के माध्यम से यह भी सुनिश्चित किया है कि ऐसे बैंकों को ऐसे कठोर कदम नहीं उठाए जाने का निर्देश दिया जाए और वे ऐसे मामलों को मानवता और संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए ही सुलझाएं। यह निर्देश सभी बैंकों को दिया गया है फिर चाहे वे निजी हो या सरकारी।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 44, डॉ. निशिकांत दुबे।

(प्रश्न संख्या 44)

डॉ. निशिकांत दुबे : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी का जो उत्तर है और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक मिशन है – स्किल डेवलपमेंट, उसमें पहली बार भारत सरकार ने बड़ा काम किया है। इसमें हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन इस मंत्रालय का और शिक्षा मंत्रालय का जो उत्तर है, इन दोनों मंत्रालयों के वे मंत्री हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महिलाओं के प्रशिक्षण का रेशियो आज भी कम है। मंत्री जी ने अपने उत्तर में इसे 34 प्रतिशत कहा है। इसका जो मुख्य कारण मुझे इस उत्तर में दिखाई दे रहा है, वह है कि एनएसडीसी और अलग-अलग 20 मंत्रालय स्किलिंग का काम करते हैं। उनके कोऑर्डिनेशन के लिए शायद एक कमेटी बनी है या नहीं बनी है, मुझे नहीं पता है, लेकिन इतने प्रयास के बावजूद भी महिलाओं की संख्या घट रही है।

अत: मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह है और प्रश्न भी है कि जो एनएसडीसी और अन्य सारे मंत्रालय स्किलिंग का काम कर रहे हैं, उनके कोऑर्डिनेशन के लिए क्या कोई कमेटी बनाने का सरकार का इरादा है? यदि है, तो उसमें महिलाओं की संख्या कैसे बढ़ेगी, इस बारे में भारत सरकार की क्या सोच है?

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न है – महिलाओं का पार्टिसिपेशन। [हिन्दी] यह बात सही है और माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है कि शॉर्ट टर्म स्किलिंग में महिलाओं की संख्या अभी 34 प्रतिशत है, लेकिन जिस ढंग से देश में आज कटिंग एज स्किल्स आ रही हैं, न्यू एज स्किल्स आ रही हैं, मैं विशेषकर उदाहरण देना चाहूंगा कि आइटी सेक्टर में, सेमी कंडक्टर में, डिजिटाइजेशन आदि में महिलाओं की आवश्यकता बढ़ने वाली है। जैसे अभी मोबाइल इंडस्ट्री इमर्ज कर रही है, मोबाइल इंडस्ट्री में पैकेजिंग और असेम्बलिंग के सारे काम महिलाएं करती हैं।

आने वाले दिनों में इसकी संख्या बढ़ेगी। भारत सरकार के स्किल डिपार्टमेंट के नेतृत्व में मेटी जैसे अनेक विभागों के कॉर्डिनेशन से इस संख्या को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।... (व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे : माननीय अध्यक्ष जी, इस देश में 14वें, 15वें और 16वें वित्त आयोग से कई आईटीआई संस्थान भारत सरकार ने माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में बनाए हैं।... (व्यवधान) मैं दूसरी जगह नहीं जाता हूँ। मेरे ही लोक सभा क्षेत्र में प्रत्येक ब्लॉक में आईटीआई बनना है। मेरे लोक सभा क्षेत्र में 15 आईटीआई संस्थान बने हैं।... (व्यवधान) जब रूडी जी मंत्री थे तो मैं उन्हें दिखाने भी लेकर गया था, लेकिन राज्य सरकार आईटीआई के प्रति इतनी अन्यमनस्क है कि वह कोई आईटीआई चलाने के लिए तैयार ही नहीं है।... (व्यवधान) भारत सरकार का पैसा है, लेकिन आईटीआई नहीं चलता है। चूँकि भारत सरकार का पैसा था इसलिए उस समय यह योजना बनी थी कि आईटीआई का स्किलिंग के लिए उपयोग करना चाहिए। इसके लिए राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही है।... (व्यवधान) क्या केन्द्र सरकार इन सभी आईटीआईज़ को, जो कि भारत सरकार के खर्चे पर बने हुए हैं, उन सभी को अपने हाथ में लेकर स्किलिंग का एक बड़ा कार्यक्रम चलाने पर विचार रखती है?

श्री धर्मेन्द्र प्रधान: अध्यक्ष महोदय, हमारी संघीय व्यवस्था में आईटीआई चलाने का काम राज्य सरकारों का है।... (व्यवधान) यह बात सही है कि कुछ राज्यों में राज्य सरकार की उदासीनता के कारण यह बात सामने आई है, लेकिन फिलहाल भारत सरकार का आईटीआई को सीधे अपने हाथों में लेकर चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।... (व्यवधान)

श्री मनोज तिवारी : अध्यक्ष जी, धन्यवाद। माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का बहुत विस्तार से उत्तर दिया है और उसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ।... (व्यवधान) स्किल डेवलमेंट के माध्यम से देश के युवाओं को बहुत अच्छी संख्या में रोजगार मिला है। हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री मोदी जी की सोच यह दर्शाती है कि युवाओं के प्रति बहुत अच्छा काम हो रहा है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि मेरे संसदीय क्षेत्र उत्तर पूर्वी दिल्ली में कुछ और नए सेन्टर्स खोले जाएं, जिससे हमारे संसदीय क्षेत्र की महिलाओं और युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार प्राप्त हो सके। यह मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ।... (व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र प्रधान: अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदस्य की जो अपेक्षा है, उसके लिए मैं उनसे मिलकर चर्चा कर लूंगा।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 45, डॉ. उमेश जी. जाधव।

(प्रश्न संख्या 45)

[अनुवाद]

डॉ. उमेश जी. जाधव : भारत आई.टी. के क्षेत्र में काफी प्रगति कर रहा है और इसे आई.टी. हब के रूप में जाना जाता है। इसलिए, माननीय मंत्री से मेरा पहला अनुपूरक यह है कि आयकर से संबंधित सभी मुद्दों को सरल बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं।

मेरा दूसरा अनुपूरक है कि करों का भुगतान करने हेतु लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

[हिन्दी]

श्री पंकज चौधरी: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या कदम उठाए गए हैं, हालांकि उत्तर सभा पटल पर है, फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि सरकार इस क्षेत्र में किसी प्रकार का दबाव बनाने के बजाय तकनीकी उपयोग द्वारा लोगों को टैक्स भरने और रिटर्न फाइल करने हेतु प्रोत्साहित करने का कार्य कर रही है ।... (व्यवधान) इसके लिए सरकार ने विभिन्न उपाय किए हैं । आज ई-फाइलिंग का सिस्टम है । आयकर व्यवस्था में हमने फेसलेस लागू किया, ताकि निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ जवाबदेही सुनिश्चित कर सकें । हमने टीडीएस सिस्टम लागू किया । हमने आयकर विवरण प्रणाली को लागू किया ।... (व्यवधान) एंडरॉयड और आईफोन एप्लीकेशन को लागू किया । एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम तथा आईटीआर की सूचनाओं का ऑटोमेशन किया जा रहा है ।... (व्यवधान) ये दोनों व्यवस्थाएं सकारात्मक रूप से करदाता को प्रोत्साहित करती हैं । वह आईटीआर सही-सही भर सके, उसके लिए करदाता के रिटर्न फाइल करने के बाद उसे ई-वैरीफिकेशन के माध्यम से अपनी रिपोर्ट को सत्यापित करने की सुविधा भी दी जा रही है । ऐसी तमाम प्रकार की योजनाएं भारत सरकार चला रही है, ताकि लोगों को आयकर रिटर्न भरने में आसानी हो ।... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री तेजस्वी सूर्या: अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि जहां फेसलेस असेसमेंट का तरीका अनुपालन में आसानी के मामले में गेम चेंजर रहा है, वहीं फेसलेस असेसमेंट आकलन के परिणामस्वरूप कई ऐसे मूल्यांकन भी हो जाते हैं जिसमें अत्यधिक धनराशि अंतर्ग्रस्त होती है, और कई बार ये अत्यधिक धनराशि वाले मूल्यांकन स्टार्ट-अप और एस.एम.ई. कंपनियों के लिए अनुपालन के संबंध में मुद्दे पैदा करते हैं। सरकार इन अत्यधिक मूल्यांकनों से उत्पन्न होने वाले मुद्दों के समाधान के लिए कदम उठाने के लिए क्या कर रही है?

[हिन्दी]

श्री पंकज चौधरी : माननीय अध्यक्ष जी, कहीं न कहीं फेसलेस असेसमेंट सिस्टम के माध्यम से इन सभी चीजों को लिया गया है ।... (व्यवधान) समय-समय पर इनकी समीक्षा की जाती है ।... (व्यवधान) आईटी प्लेटफॉर्म पर विभिन्न अभियानों के माध्यम से जन-जुड़ाव पर जोर दिया जा रहा है ।... (व्यवधान) हम विभिन्न नए प्रयासों एवं आईटी सिस्टम्स आदि से आने वाले समय में आयकर को और भी दिशा देने वाला काम करेंगे ।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं आपसे पुन: आग्रह करता हूं कि सदन में आप लोकमत के विषयों को उठाएं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न काल महत्वपूर्ण होता है । प्रश्न काल में सरकार की जवाबदेही होती है ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जिन मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, उन मुद्दों पर पूरा सदन चर्चा करने को तैयार है, लेकिन माननीय सदस्यगण आपको नारेबाजी और तख्तियां लाने के लिए जनता ने यहां नहीं भेजा है ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह सदन मुद्दों पर चर्चा करने से ही समस्या का समाधान निकालेगा। नारेबाजी और तख्तियों से समस्या का समाधान नहीं निकलेगा और आप उन लोगों के साथ भी न्याय नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि सदन चले।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी बात रखें। मैं आपको हर मुद्दे पर बात रखने के लिए पर्याप्त समय एवं पर्याप्त अवसर दूंगा।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं पुन: सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि आप अपनी-अपनी सीट्स पर जाएं। जिन मुद्दों पर आप चर्चा करना चाहते हैं, 12 बजे के बाद उन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मैं सभी दलों से बात करके, सहमति बना कर चर्चा कराने को तैयार हूं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप नारेबाजी करेंगे, तख्तियां लाएंगे। क्या इसीलिए आपको जनता ने चुन कर यहां भेजा था?

… (व्यवधान)

———

* प्रश्नों के लिखित उत्तर

(तारांकित प्रश्न सं. 46 से 60 तक
अतारांकित प्रश्न सं. 461 से 690)

माननीय अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

पूर्वाह्न 11.27 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न बारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

———————

* प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए। https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न बारह बजे पुनः समवेत हुई।

(श्री राजेन्द्र अग्रवाल *पीठासीन हुए)*

[हिन्दी]

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव के नोटिस प्राप्त हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने किसी भी स्थगन प्रस्ताव के नोटिस को स्वीकृति नहीं दी है।

… (व्यवधान)

[अनुवाद]

अपराह्न 12.0½ बजे

इस समय श्री कोडिकुन्निल सुरेश, सुश्री महुआ मोइत्रा, श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

… (व्यवधान)

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[हिन्दी]

माननीय सभापति : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नंबर -2.

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री अर्जुन मुंडा): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) संविधान के अनुच्छेद 338क के खंड (6) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली का वर्ष 2016-2017 का वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई ज्ञापन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखें संख्या एल.टी. 9648/17/23)]

… (व्यवधान)

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखें संख्या एल.टी. 9649/17/23)]

(3) (एक) राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखें संख्या एल.टी. 9650/17/23)]

..... (व्यवधान)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का. आ. 1800(अ) जो 21 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 जनवरी, 2022 की अधिसूचना सं.

का.आ.38(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का. आ. 2903(अ) जो 3 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 6 जनवरी, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ.19(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) का. आ. 1832(अ) जो 21 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 14 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना सं. का.आ.1533(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चार) का. आ. 2226(अ) जो 18 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 14 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना सं. का.आ.1533(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखें संख्या एल.टी. 9651/17/23)]

(2) राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 35 की उप-धारा (3) के अंतर्गत राष्ट्रीय हरित अधिकरण (प्रथाएं और प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2023 जो 24 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 215(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखें संख्या एल.टी. 9652/17/23)]

(3) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2023 जो 27 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 318(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखें संख्या एल.टी. 9653/17/23)]

(4) (एक) भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, देहरादून के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

. (दो) भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, देहरादून के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखें संख्या एल.टी. 9654/17/23)]

… (व्यवधान)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): महोदय मैं, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति ((हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि.472(अ) जो 30 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 मई, 2023 से विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता संव्यवहार) नियम, 2000 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता संव्यवहार) (संशोधन) नियम, 2023 जो 16 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 369(अ) में

प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखें संख्या एल.टी. 9655/17/23)]

(2) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8(क) की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि.469(अ) जो 30 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के लिए मानक टैरिफ को 5% से बढ़ाकर 15% करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि.473(अ) जो 1 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में तरलीकृत प्रोपेन और तरलीकृत ब्यूटेन के लिए मानक टैरिफ को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखें संख्या एल.टी. 9656/17/23)]

(3) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि.[हिन्दी] 470(अ) जो 30 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 785(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि.471(अ) जो 30 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 फरवरी, 2021 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.69(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि.474(अ) जो 1 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 785(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि.475(अ) जो 1 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 फरवरी, 2021 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 69(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि.254(अ) जो 1 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विदेश व्यापार नीति, 2023 की अग्रिम प्राधिकृति योजना को प्रभावशील किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। यह अधिसूचना निर्यात दायित्व और अन्य शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन सामग्रियों के आयात पर सीमा शुल्क प्रभारों में अग्रिम प्राधिकृति से छूट देती है।

(छह) सा.का.नि.255(अ) जो 1 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विदेश व्यापार नीति, 2023 के मानित निर्यातों के लिए अग्रिम प्राधिकृति योजना को

प्रभावशील किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन । यह अधिसूचना, कतिपय शर्तों के अध्यधीन, घरेलू विनिर्माताओं की विनिर्दिष्ट श्रेणियों को आपूर्ति के लिए अंतिम वस्तुओं के निर्माण के लिए आयातित सामग्रियों पर सीमाशुल्क प्रभारों में ऐसी प्राधिकृति से छूट देती है।

(सात) सा.का.नि.256(अ) जो 1 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विदेश व्यापार नीति, 2023 की वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम प्राधिकृति योजना को प्रभावशील किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन । यह अधिसूचना निर्यात दायित्व और अन्य शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन किसी उत्पाद समूह के लिए सामग्रियों के आयात पर सीमाशुल्क प्रभारों में ऐसी प्राधिकृति से छूट देती है।

(आठ) सा.का.नि.257(अ) जो 1 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा अग्रिम प्राधिकृति योजना के अंतर्गत निर्यात के लिए अन्यथा प्रतिषिद्ध किसी मद के निर्यात के संबंध में विदेश व्यापार नीति, 2023 में उपबंध को प्रभावशील किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन । यह अधिसूचना विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन, भारत में आयातित सामग्रियों के आयात पर सीमाशुल्क प्रभारों में ऐसी प्राधिकृति से छूट देती है।

(नौ) सा.का.नि.258(अ) जो 1 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विदेश व्यापार नीति, 2023 में शुल्क मुक्त आयात प्राधिकृति (डीएफआईए) योजना को

प्रभावशील करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन । ऐसी प्राधिकृति निर्यात किए जाने के पश्चात् प्रदान की जाती हैं। यह अधिसूचना कतिपय शर्तों के अध्यधीन डीएफआईए से आयातित सामग्रियों पर आधारभूत सीमाशुल्क प्रभारों में छूट देती है।

(दस) सा.का.नि.259(अ) जो 1 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विदेश व्यापार नीति, 2023 में निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल (ईपीसीजी) योजना को प्रभावशील करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। यह अधिसूचना निर्यात दायित्व और अन्य शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन शून्य सीमाशुल्क पर पूंजीगत माल के आयात की अनुमति देती है।

(ग्यारह) सा.का.नि.260(अ) जो 1 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विदेश व्यापार नीति, 2023 की विशेष अग्रिम प्राधिकृति योजना को प्रभावशील किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। यह अधिसूचना निर्यात दायित्व और अन्य शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन फैब्रिक के आयात पर विशेष अग्रिम प्राधिकृति से छूट देती है।

(बारह) सा.का.नि.261(अ) जो 1 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैराग्राफ 4.01(घ) के अनुसार निर्यातित वस्तुओं पर शुल्कों और करों में छूट के लिए योजना (आरओडीटीईपी) और ड्यूटी क्रेडिट के निर्गम को अभिशासित करने वाली शर्तों और प्रतिबंधों

के अधीन निर्यातित वस्तुओं के लिए ड्यूटी क्रेडिट के निर्गम की रीति को अधिसूचित किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 262(अ) जो 1 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विदेश व्यापार नीति, 2023 के अंतर्गत भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय की दिनांक 13 अगस्त, 2021 की अधिसूचना सं. 12015/11/2020-टीटीपी के अनुसार राज्य और केंद्रीय करों और उद्ग्रहणों की छूट के लिए योजना तथा ड्यूटी क्रेडिट के निर्गम को अभिशासित करने वाली शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन निर्यातित वस्तुओं के लिए ड्यूटी क्रेडिट के निर्गम की रीति को अधिसूचित करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि.316(अ) जो 26 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित तेरह अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) सा.का.नि.251(अ) जो 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 31.03.2021 की अधिसूचना सं. 25/2021-सीमाशुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा.का.नि.[हिन्दी] 252(अ) जो 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक

30.04.2022 की अधिसूचना सं. 22-2022-सीमाशुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा.का.नि.277(अ) जो 10 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 31.10.2022 की अधिसूचना सं. 55/2022-सीमाशुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा.का.नि.309(अ) जो 20 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 31.10.2022 की अधिसूचना सं. 55/2022-सीमाशुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा.का.नि.319(अ) जो 27 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 01.01.2022 की अधिसूचना सं. 11/2022-सीमा शुल्क और 12/2022-सीमा शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा.का.नि.331(अ) जो 1 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित तीन अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा.का.नि.332(अ) जो 1 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 30 जून, 2017 की

अधिसूचना सं. 50/2017-सीमा शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं और जिनमें दिनांक 16 मई, 2023 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 368(अ) में प्रकाशित उसका शुद्धिपत्र शामिल है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) सा.का.नि.333(अ) जो 1 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित सत्रह अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) सा.का.नि.356(अ) जो 10 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कच्चा सोयाबीन तेल (एचएस150710 10 00) और कच्चा सूरजमुखी तेल (एचएस1512 11 10) के आयात की अनुमति देना है तथा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए (डीजीएफआई द्वारा पुन: विधिमांयकृत) 30 जून, 2023 तक टीआरक्यू लाइसेंसधारकों के लिए शूंय आधारभूत सीमाशुल्क और शूंय कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (जो कि शूंय अंत:उद्धरण टैरिफ दर है) में छूट देना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) सा.का.नि.[हिन्दी] 383(अ) जो 23 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 26 दिसम्बर, 2022 की अधिसूचना सं. 62/2022-सीमाशुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पच्चीस) सा.का.नि.439(अ) जो 14 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 अक्तूबर, 2021 की अधिसूचना सं. 48/2021-सीमा शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छब्बीस) सा.का.नि.263(अ) जो 1 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित आठ अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्ताईस) सा.का.नि.265(अ) जो 3 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 21 जुलाई, 2015 की अधिसूचना सं. 40/2015-सीमा शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखें संख्या एल.टी. 9657/17/23)]

(4) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि.245(अ) जो 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जीएसटीआर-4 गैर-दायरकर्ताओं को क्षमादान देना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा.का.नि. 246(अ) जो 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पंजीकरण के निरस्तीकरण

के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन की समय-सीमा को बढ़ाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) केंद्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) नियम, 2023 जो 31 मार्च, 2023 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 247(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 248(अ) जो 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 26.12.2022 की अधिसूचना सं. 27/2022 में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 249(अ) जो 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 62 के अंतर्गत जारी कर निर्धारण आदेशों की मानित वापसी के लिए क्षमादान योजना प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि.250(अ) जो 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जीएसटीआर-9 के लिए विलंब शुल्क को तर्कसंगत करना और जीएसटीआर-9 गैर-दायरकर्ताओं को क्षमादान देना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) का.आ.1563(अ) जो 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय जीएसटीआर-10 गैर-

दायरकर्ताओं को क्षमादान देना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(आठ) का.आ.1564(अ) जो 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय सीजीएसटी अधिनियम की धारा 168क के अंतर्गत सीमा को विस्तारित करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 355(अ) जो 10 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 अगस्त, 2023 से पांच करोड़ रुपए से अधिक सकल टर्नओवर वाले करदाताओं के लिए ई-बीजकीकरण को कार्यान्वित करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि.384(अ) जो 24 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मणिपुर राज्य में व्यवसाय के प्रमुख स्थान वाले पंजीकृत व्यक्तियों के लिए अप्रैल, 2023 हेतु प्ररूप जीएसटीआर-1 दायर करने के लिए निर्धारित तिथि को आगे बढ़ाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 385(अ) जो 24 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मणिपुर राज्य में व्यवसाय के प्रमुख स्थान वाले पंजीकृत व्यक्तियों के लिए अप्रैल, 2023 हेतु प्ररूप जीएसटीआर-3ख दायर करने के लिए निर्धारित तिथि को आगे बढ़ाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 386(अ) जो 24 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मणिपुर राज्य में व्यवसाय के प्रमुख स्थान वाले पंजीकृत व्यक्तियों के लिए अप्रैल, 2023 हेतु प्ररूप जीएसटीआर-7 दायर करने के लिए निर्धारित तिथि को आगे बढ़ाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 448(अ) जो 19 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मणिपुर राज्य में व्यवसाय के प्रमुख स्थान वाले पंजीकृत व्यक्तियों के लिए अप्रैल और मई, 2023 हेतु प्ररूप जीएसटीआर-1 दायर करने के लिए निर्धारित तिथि को आगे बढ़ाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि. 449(अ) जो 19 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मणिपुर राज्य में व्यवसाय के प्रमुख स्थान वाले पंजीकृत व्यक्तियों के लिए अप्रैल और मई, 2023 हेतु प्ररूप जीएसटीआर-3ख दायर करने के लिए निर्धारित तिथि को आगे बढ़ाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) सा.का.नि. 450(अ) जो 19 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मणिपुर राज्य में व्यवसाय के प्रमुख स्थान वाले पंजीकृत व्यक्तियों के लिए अप्रैल और मई, 2023 हेतु प्ररूप जीएसटीआर-7 दायर करने के लिए निर्धारित तिथि को आगे बढ़ाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा.का.नि. 460(अ) जो 27 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय गुजरात राज्य में कच्छ, जामनगर, मोरबी, पाटन और बनासकंठा जिलों में पंजीकृत व्यक्तियों के लिए मई, 2023 हेतु प्ररूप जीएसटीआर-3ख दायर करने के लिए निर्धारित तिथि को 30 जून, 2023 तक आगे बढ़ाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा.का.नि. 348(अ) जो 9 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 11/2017-केंद्रीय कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखें संख्या एल.टी. 9658/17/23)]

(5) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप-धारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 276(अ) जो 6 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित मछली पकड़ने के जाल के आयातों पर प्रतिपाटन शुल्क के उद्ग्रहण को 9 सितम्बर, 2023 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, विस्तारित करना है।

(दो) सा.का.नि. 279(अ) जो 10 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय डीजीटीआर द्वारा जारी

अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य और कोरिया जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित ''यूर्सोडीओऑक्सीकोलिक एसिड" के आया पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है।

(तीन) सा.का.नि. 308(अ) जो 19 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य, ताइवान और वियतनाम से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित ''विनाईल टाइल्स, रोल या सीट फॉर्म के अलावा" के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क का उद्ग्रहण करना है।

(चार) सा.का.नि. 416(अ) जो 9 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 दिसम्बर, 2022 की अधिसूचना सं. 31/2022-सीमा शुल्क (एडीडी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 344(अ) जो 4 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित कार्बन श्रृंखला लंबाई सी10 से सी18 के संतृप्त वसीय अल्कोहल और उनके मिश्रणों के आयात पर प्रतिकारी शुल्क लगाना है।

(छह) सा.का.नि. 241(अ) जो 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 11/2017-केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय

संशोधन किए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखें संख्या एल.टी. 9659/17/23)]

(6) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 303 (अ) जो 18 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा पेट्रोलियम क्रूड के उत्पादन और विमानन टर्बाइन ईंधन के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क बढ़ाने के लिए 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना संख्या 18/2022-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 304 (अ) जो 18 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को कम करने के लिए 30 जून, 2022 की अधिसूचना संख्या 04/2022- के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 336 (अ) जो 1 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा पेट्रोलियम क्रूड के उत्पादन और विमानन टर्बाइन ईंधन के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को कम करने के लिए दिनांक 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना संख्या 18/2022- के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किये गये है, तथा

एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 366 (अ) जो 15 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा पेट्रोलियम क्रूड के उत्पादन और विमानन टर्बाइन ईंधन के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को कम करने के लिए 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना संख्या 18/2022- के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 317 (अ) जो 27 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा 31 मार्च, 2003 की अधिसूचना संख्या 22/2003- के.उ.शु. और अधिसूचना संख्या 23/2003- के.उ.शु. दोनों में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखें संख्या एल.टी. 9660/17/23)]

(7) वित्त अधिनियम, 2023 की धारा 1 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 1566(अ) जो 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसका आशय 1 अप्रैल, 2023 को उस तारीख के रूप में नियत करना है जिसको वित्त अधिनियम, 2023 की धारा 163 के उपबंध प्रवृत्त होंगे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का.आ. 1567(अ) जो 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसका आशय वित्त अधिनियम, 2023

की विभिन्न धाराओं के लिए प्रवृत्त होने की तारीखों का उपबंध करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखें संख्या एल.टी. 9661/17/23)]

(8) प्रतिकर उपकर माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि.253(अ) जो 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा जिसके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 1/2017-प्रतिकर उपकर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया,देखें संख्या एल.टी.9662/17/23]

(9) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि.349(अ) जो 9 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा जिसके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 08/2017-एकीकृत कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया,देखें संख्या एल.टी.9663/17/23]

(10) संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि.350(अ) जो 9 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा जिसके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 11/2017-एकीकृत कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया,देखें संख्या एल.टी.9664/17/23]

(11) अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 की धारा 32 के अंतर्गत अधिकरण (सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2023, जो 16 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 444(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल.टी.9665/17/23]

(12) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 और संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि.361(अ) जो 12 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा 8 अक्टूबर, 2018 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.1004(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि.390(अ) जो 25 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिसके द्वारा 8 अक्टूबर, 2018 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.1004(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया,देखें संख्या एल.टी.9666/17/23]

(13) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 29 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (निधि प्रबंधन) (संशोधन) विनियम, 2023 जो 13 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं.आईएफ़एससीए/2022-23/ जीएन / आरईजी034 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (पुनर्बीमा) विनियम, 2023 जो 13 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं.आईएफ़एससीए/2022-23/जीएन/आरईजी036 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2022-23/जीएन/037 जो 13 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 'विमानन प्रशिक्षण सिमुलेशन उपकरणों' के संबंध में परिचालन और वित्तीय लीज के हाइब्रिड सहित परिचालन लीज को वित्तीय उत्पाद के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(चार) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (सामान्य, स्वास्थ्य और पुनर्बीमा व्यवसाय की अस्तियां, देयताएं और शोधन क्षमता मार्जिन) विनियम, 2023 जो 20 अप्रैल, 2023 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2022-23/जीएन/आरईजी038 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (जीवन बीमा व्यवसाय के लिए आस्ति, देयता, शोधन क्षमता मार्जिन और बीमांकिक रिपोर्ट का सार) विनियम, 2023 जो 20 अप्रैल, 2023 को भारत के

राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2022-23/जीएन/आरईजी039 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बीमा व्यवसाय का प्रबंधन नियंत्रण, प्रशासनिक नियंत्रण और बाजार संचालन) विनियम, 2023 जो 1 मई, 2023 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2022-23/जीएन/आरईजी035 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2020-21/एनआईसीसीएल/245 जो 26 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित कतिपय शर्तों के अध्यधीन एनएसई आईएफएससी क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, यूनिट नंबर 1202, ब्रिगेड इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, 12वीं मंजिल, बिल्डिंग नंबर 14-ए, ब्लॉक 14, जोन -1, जीआईएफटी एसईजेड, गांधीनगर, गुजरात -382355 को मान्यता प्रदान की गई है।

(आठ) अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2020-21/एनएसई-आईएफएससी/262 जो 26 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित कतिपय शर्तों के अध्यधीन एनएसई आईएफएससी क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, यूनिट नंबर 1202, ब्रिगेड इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, 12वीं मंजिल, बिल्डिंग नंबर 14-ए, ब्लॉक 14, जोन -1, जीआईएफटी एसईजेड, गांधीनगर, गुजरात-382355 की मान्यता का नवीकरण किया गया है।

(नौ) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (पूंजी बाजार मध्यस्थ) (संशोधन) विनियम, 2023 जो 4 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2023-24/जीएन/आरईजी040 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बैंकिंग) (संशोधन) विनियम, 2023 जो 7 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2023-24/जीएन/आरईजी041 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखें संख्या एल.टी. 9667/17/23)]

(14) स्टॉक मार्केट घोटाले और उससे संबंधित मामलों – जुलाई, 2023 पर संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों के अनुसरण में की-गई-कार्रवाई संबंधी 40वीं प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति (हिंदी और अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखें संख्या एल.टी. 9668/17/23)]

… (व्यवधान)

[अनुवाद]

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मीनाक्षी लेखी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र को सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) (एक) इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कंफेडेरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कंफेडेरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखें संख्या एल.टी. 9669/17/23)]

(3) (एक) केन्द्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, वाराणसी के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, वाराणसी के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केन्द्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, वाराणसी के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

. [ग्रंथालय में रखा गया। देखें संख्या एल.टी. 9670/17/23)]

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष सरकार): महोदय, मैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 28 के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की शिकायतों का निवारण) विनियम, 2023, जो 11 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ. 1-13/2022/(सी.पी.पी.- II) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखें संख्या एल.टी. 9671/17/23)]

… (व्यवधान)

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत कराड़): महोदय, मैं सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114क(3) तथा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 27 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (कमीशन का भुगतान) विनियम, 2023 जो 27 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. आई.आर.डी.ए.आई./आर.ई.जी/2/190/2023 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा व्यवसाय करने वाले बीमाकर्ताओं के प्रबंध का व्यय) विनियम, 2023 जो 27 मार्च, 2023 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं.

आई.आर.डी.ए.आई./आर.ई.जी./3/191/2023 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ताओं के प्रबंध व्यय) विनियम, 2023 जो 27 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं. आई.आर.डी.ए.आई./आर.ई.जी./4/192/ 2023 में प्रकाशित हुए थे

[ग्रंथालय में रखा गया। देखें संख्या एल.टी. 9672/17/23)]

(2) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 36 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) ऋण वसूली अपील अधिकरण, इलाहाबाद और ऋण वसूली अधिकरण, रांची, जबलपुर, पटना, लखनऊ और देहरादून में भर्ती (संशोधन) नियम, 2023 जो 6 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि..482 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) ऋण वसूली अपील अधिकरण, चेन्नई और ऋण वसूली अधिकरण, एर्नाकुलम, चेन्नई, मदुरै, कोयम्बटूर और बैंगलोर भर्ती (संशोधन) नियम, 2023 जो 6 जुलाई, 2023 केभारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि..483 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) ऋण वसूली अपील अधिकरण, दिल्ली तथा ऋण वसूली अधिकरण चंडीगढ़, दिल्ली और जयपुर भर्ती (संशोधन) नियम, 2023 जो 6 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि..484 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) ऋण वसूली अपील अधिकरण, कोलकाता तथा ऋण वसूली अधिकरण हैदराबाद, गुवाहाटी, कोलकाता, विशाखापट्टनम, सिलीगुड़ी और कटक भर्ती (संशोधन) नियम, 2023 जो 6 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि..485 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) ऋण वसूली अपील अधिकरण, मुंबई तथा ऋण वसूली अधिकरण औरंगाबाद, मुंबई, अहमदाबाद, पुणे और नागपुर भर्ती (संशोधन) नियम, 2023 जो 6 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि..486 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखें संख्या एल.टी. 9673/17/23)]

(3) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 53 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (सभापति और पूर्णकालिक सदस्यों को देय वेतन तथा भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें और निबंधन) संशोधन नियम, 2023 जो 22 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.209 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत बाहर आना और आहरण) (संशोधन) विनियम, 2023 जो 23 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/12/आरजीएल / 189/8 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास) (संशोधन) विनियम, 2023 जो 17 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/12/आरजीएल /139/5 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (अभिदाता की शिकायत का निवारण) (संशोधन) विनियम, 2023 जो 27 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/1 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखें संख्या एल.टी. 9674/17/23)]

(4) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम, मुंबई के 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखें संख्या एल.टी. 9675/17/23)]

(5) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (वोलंटरी वाइंडिंग अप ऑफ आईआईबीआई टू द इक्विटी शेयरहोल्डर्स ऑफ आईआईबीआई), कोलकाता की 31.03.2023 को समाप्त हुई तिमाही के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (वोलंटरी वाइंडिंग अप

ऑफ आईआईबीआई टू द इक्विटी शेयरहोल्डर्स ऑफ आईआईबीआई), कोलकाता का 31.03.2023को समाप्त हुई तिमाही के लिए परिसमापक का प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखें संख्या एल.टी. 9676/17/23)]

(6) (एक) नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेवलपमेंट, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेवलपमेंट, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखें संख्या एल.टी. 9677/17/23)]

… (*व्यवधान*)

———————

अपराह्न 12.03 बजे

कार्य मंत्रणा समिति

42वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, श्री प्रहलाद जोशी जी की ओर से, मैं कार्य मंत्रणा समिति का 42वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

… (व्यवधान)

———

माननीय सभापति : आइटम नंबर 10, श्री प्रिंस राज – उपस्थित नहीं।

… (व्यवधान)

अपराह्न 12.03½ बजे

परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

348वें से 351वां प्रतिवेदन

श्री तीरथ सिंह रावत (गढ़वाल): महोदय, मैं परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) 'विरासत से जुड़ी चीजों की चोरी-भारतीय पुरावशेषों का अवैध व्यापार और हमारी मूर्त सांस्कृतिक विरासत के पुनरुज्जीवन तथा उसकी सुरक्षा में आने वाली चुनौतियां' विषय के बारे में 348वां प्रतिवेदन।

(2) 'पत्तनों पर संपर्क और पर्यटक टर्मिनल सुविधाएं' विषय के बारे में समिति के 327वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 349वां प्रतिवेदन।

(3) 'ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड एयरपोर्टों का विकास और सैन्य विमानपत्तनों में असैन्य एन्कलेव से संबंधित मुद्दे' विषय के बारे में 350वां प्रतिवेदन।

(4) 'राष्ट्रीय अकादमियों और अन्य सांस्कृतिक संस्थाओं का कार्यकरण' विषय के बारे में 351वां प्रतिवेदन।

… (व्यवधान)

———

अपराह्न 12.04 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय में संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) से संबंधित वित्त संबंधी स्थायी समिति के 55वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति**

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): महोदय, मैं राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) से संबंधित वित्त संबंधी स्थायी समिति के 55वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

… (व्यवधान)

अपराह्न 12.04½ बजे

(दो) उत्तर- पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23) से संबंधित गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 241वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति *

उत्तर- पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी.एल. वर्मा): महोदय, मैं उत्तर- पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23) से संबंधित गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 241वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों /टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

… (व्यवधान)

---

* सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या क्रमशः एल.टी 9646/17/23 और 9647/17/23

अपराह्न 12.05 बजे

समिति के लिए निर्वाचन

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कोर्ट

शिक्षा मंत्री तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम, 1920 की संविधियों की संविधि 14 के खंड 1 के उप-खंड (चौबीस) और खंड 2 के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त संविधियों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कोर्ट के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से छह सदस्य निर्वाचित करें।"

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम, 1920 की संविधियों की संविधि 14 के खंड 1 के उप-खंड (चौबीस) और खंड 2 के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त संविधियों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कोर्ट के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से छह सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.05½ बजे

****डीएनए प्रौद्योगिकी (प्रयोग और लागू होना)**

विनियमन विधेयक, 2019

[अनुवाद]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेंद्र सिंह): महोदय, मैं कतिपय प्रवर्ग के व्यक्तियों की, जिसके अन्तर्गत पीड़ित, अपराधी, संदिग्ध, विचारणाधीन, लापता व्यक्ति और अज्ञात मृत व्यक्ति भी हैं, पहचान स्थापित करने के प्रयोजनों के लिए डिऑक्सीराइबो न्यूक्लीक एसिड (डी.एन.ए.) प्रौद्योगिकी के प्रयोग और लागू होने के विनियम का उपबंध करने के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

[हिन्दी]

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

> "कि कतिपय प्रवर्ग के व्यक्तियों की, जिसके अंतर्गत पीड़ित, अपराधी, संदिग्ध, विचारणाधीन, लापता व्यक्ति और अज्ञात मृत व्यक्ति भी हैं, पहचान स्थापित करने के प्रयोजनों के लिए डिऑक्सीराइबो न्यूक्लीक एसिड (डीएनए) प्रौद्योगिकी के प्रयोग और लागू होने के विनियम का उपबंध करने के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

* विधेयक 8 जुलाई, 2019 को पुर:स्थापित किया गया था तथा जांच और प्रतिवेदन के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति को सौंपा गया था। समिति का प्रतिवेदन 3 फरवरी, 2021 को लोक सभा के पटल पर रखा गया था। विधेयक को वापस लिए जाने के कारणों को दर्शाने वाला विवरण 20.7.2023 को सदस्यों को परिचालित किया गया है।

[अनुवाद]

डॉ. जितेन्द्र सिंह: महोदय, मैं विधेयक वापस लेता हूं।

… (*व्यवधान*)

———————

अपराह्न 12.06 बजे

सरकारी विधेयक - पुर:स्थापित

(i) राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग विधेयक, 2023*

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री मनसुख मंडाविया): महोदय, परिचर्या और प्रसूति विद्या वृत्तिकों द्वारा शिक्षा और सेवाओं के मानकों के विनियमन और अनुरक्षण, संस्थाओं के निर्धारण, राष्ट्रीय रजिस्टर और राज्य रजिस्टर के अनुरक्षण और पहुंच में सुधार करने, अनुसंधान और विकास के लिए प्रणाली के सृजन तथा अद्यतन वैज्ञानिक उन्नति के अंगीकरण और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति देने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि परिचर्या और प्रसूति विद्या वृत्तिकों द्वारा शिक्षा और सेवाओं के मानकों के विनियमन और अनुरक्षण, संस्थाओं के निर्धारण, राष्ट्रीय रजिस्टर और राज्य रजिस्टर के अनुरक्षण और पहुंच में सुधार करने, अनुसंधान और विकास के लिए प्रणाली के सृजन तथा अद्यतन वैज्ञानिक उन्नति के अंगीकरण और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

श्री मनसुख मंडाविया: महोदय, विधेयक** पुर:स्थापित करता हूँ।

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 24.7.2023 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर: स्थापित।

———————

… (*व्यवधान*)

अपराह्न 12.07 बजे

(दो) राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक, 2023**

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री मनसुख मांडविया): महोदय, मैं देश में दंत चिकित्सा के व्यवसाय को विनियमित करने, क्वालिटी और वहन योग्य दंत चिकित्सा शिक्षा का उपबंध करने, मुख संबंधी उच्च क्वालिटी की स्वास्थ्य देखभाल को सुगम बनाने और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति देने के लिए प्रस्ताव करता हूँ।

[हिन्दी]

माननीय सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि देश में दंत चिकित्सा के व्यवसाय को विनियमित करने, क्वालिटी और वहन योग्य दंत चिकित्सा शिक्षा का उपबंध करने, मुख संबंधी उच्च क्वालिटी की स्वास्थ्य देखभाल को सुगम बनाने और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

श्री मनीष तिवारी जी।

[अनुवाद]

श्री मनीष तिवारी (आनंदपुर साहब): यह खेदजनक है। मणिपुर जल रहा है … (*व्यवधान*)

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 24.7.2023 में प्रकाशित

माननीय सभापति : आप केवल बिल पर बोलिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि देश में दंत चिकित्सा के व्यवसाय को विनियमित करने, क्वालिटी और वहन योग्य दंत चिकित्सा शिक्षा का उपबंध करने, मुख संबंधी उच्च क्वालिटी की स्वास्थ्य देखभाल को सुगम बनाने और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

[अनुवाद]

श्री मनसुख मंडाविया: महोदय, विधेयक** पुर:स्थापित करता हूँ।

———————

… (*व्यवधान*)

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर: स्थापित।

अपराह्न 12.08 बजे

(तीन) संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023*

[हिन्दी]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जातियों की सूची को उपांतरित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

> "कि छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जातियों की सूची को उपांतरित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डॉ. वीरेन्द्र कुमार : माननीय सभापति महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूँ।

———

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 24.7.2023 में प्रकाशित

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर: स्थापित।

माननीय सभापति : आप लोग कृपया करके अपनी सीट्स पर जाइए। हंगामा और बहस एक साथ नहीं चल सकता है। आप लोग अपनी-अपनी सीटों पर जाएंगे तभी बहस संभव है। [अनुवाद] आपने जो विषय उठाया है, आप जिस पर चर्चा करना चाहते हैं, आप लोग उसकी बहस में भाग लीजिए। कृपया अपने स्थान पर वापस जाएं। हंगामा और चर्चा साथ-साथ नहीं चल सकते।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

<u>अपराह्न 12.09 बजे</u>

तत्पश्चात लोक सभा अपराह्न के दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

———————

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा अपराह्न दो बजे पुन: समवेत हुई।

(श्री राजेन्द्र अग्रवाल *पीठासीन हुए)*

… (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय सभापति : पहले आप सब बैठिए। प्लीज़, बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : कृपया काम शुरू होने दीजिए।

… (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय सभापति: कृपया, हमें कुछ कार्य शुरू करने दीजिए।

… (*व्यवधान*)

अपराह्न 14.01 बजे

इस समय, सुश्री महुआ मोइत्रा, श्री हैबी ईडन और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

… (व्यवधान)

अपराह्न 14.02 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[हिन्दी]

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाएगा। जिन सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों को आज उठाने की अनुमति दी गई है और जो उन्हें सभा पटल पर रखना चाहते हैं, वे 20 मिनट के अंदर अपने मामले का पाठ व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर भेज दें। केवल उन्हीं मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाएगा, जिनके लिए मामले का पाठ निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर प्राप्त होगा। शेष को व्यपगत माना जाएगा।

… (व्यवधान)

(एक) महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन से संबंधित सॉफ्टवेयर को आसान बनाए जाने की आवश्यकता

श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली): मनरेगा जो एक रोजगार गारंटी योजना है और इसके सॉफ्टवेर मे सिस्टम अपडेट के कारण लेबर और स्किल मस्टर डिस्प्ले नहीं हो पाता है जिससे अमरेली के महुवा तालुके डुंडास, जांबुड़ा, कोंजली और कालेला गाँव में मानव दिन का पेमेंट नहीं हो पा रहा है। वर्ष 2021-22 में और 2022-23 के स्किल और मटीरियल्स के काम में वेज लिस्ट तक एंट्री की गई है लेकिन पहला साइन इस एंट्री के डिस्प्ले न होने के कारण इन व्यक्तिगत कार्यों का पेमेंट नहीं हो पाता है। सिस्टम अपडेट होने से अमरेली जिले के खांभा और राजुला तालुके में स्किल मस्टर रोल फिल और डिस्प्ले भी

* सभा पटल पर रखे गए माने गए।

नहीं हो पाता है। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम में हाजरी से ई- मस्टर रोल फिल करते समय संपादन का ऑप्शन डिस्प्ले नहीं होता और पेमेंट करने में भी समस्या आती है जिसके कारण मजदूरों को समय पर पैसा नहीं मिल पाता है। अतः मै माननीय मंत्री जी से विनती करता हूँ कि इस सॉफ्टवेर की प्रक्रिया को सरल बनाने की कृपा करें। धन्यवाद।

(दो) बनासकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में धनेरा रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी संख्या 14803/14804 का ठहराव प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल (बनासकांठा): साबरमती से जैसलमेर चलने वाली ट्रेन नंबर 14803-14804 जो राजस्थान के रामदेवरा से होकर गुजरती है, इस ट्रेन का स्टॉपेज मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा के अंतर्गत पड़ने वाले धानेरा स्टेशन में नहीं होने की वजह से वहां के यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

ज्ञात हो कि मेरे संसदीय क्षेत्र के धानेरा, थराद और पांथावाडा की अधिकतर धर्म प्रेमी जनता जो रामदेवरा में रामदेवपीर के श्रद्धालु हैं, वो लोग काफी संख्या में रामदेवरा जाते हैं परन्तु ट्रेन की सीधी सुविधा नहीं होने के कारण उनको काफी कठिनाई होती है। इसलिए इस ट्रेन का स्टॉपेज यदि मेरे संसदीय क्षेत्र के धानेरा में हो जाये तो बड़ी संख्या के श्रद्धालुओं को ट्रेन का लाभ मिलेगा। अतः मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इस ट्रेन का ठहराव धानेरा में किया जाये जिससे वहां के और आसपास के निवासियों को रामदेवरा जाने में परेशानी का सामना न करना पड़े।

(तीन) महाराष्ट्र के वर्धा जिले में नकली बीजों के कथित मामले के अन्वेषण हेतु सी.बी.आई. जांच कराए जाने की आवश्यकता

श्री रामदास तडस (वर्धा): मैं माननीय कृषी मंत्री जी का ध्यान विदर्भ के अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर पुलिस एवं कृषि विभाग द्वारा कपास के बीजों की जिले के एक गोदाम में की गई छापेमारी की कार्यवाही की ओर दिलाना चाहता हूं। जिसमें कथित रूप से 296 बोरे नकली कपास के बीज को पकड़ा गया है। जिसका बाजार भाव करीब 1 करोड़ 55 लाख 85 हजार 9 सौ 70 रुपए का है, जिसे पुलिस ने जब्त किया है। यह कपास बाहरी राज्यों से आने वाली असली बीज के पैकेट में नकली बीजों की री-पैकिंग कर उसे बेचा जा रहा था। एक माह पहले शुरू किए गए इस कारखाने से वर्धा सहित नागपुर, अमरावती, चंद्रपुर, भंडारा व विदर्भ के अन्य जिलों की अलग-अलग कृषि केंद्रों के मार्फत नकली बीजों की बिक्री करने का खुलासा हुआ है। इस गिरोह द्वारा 14 टन नकली बीज़ बेचा जा चुका है। इस वजह से पूरे विदर्भ में 14,000 एकड़ में नकली कपास के बीज बोए जाने का संदेह है। जिस कारण किसानों में रोष व्याप्त है। अतः माननीय कृषि मंत्री से आग्रह है कि किसान के हित को ध्यान में रखकर इसकी जाँच सीबीआई से करवा कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने का कृपा करें जिससे कि दुबारा कोई इस तरह कुकृत्य करने का सोच न सकें।

(चार) आई.टी.आई. के बंद किए जाने के बारे में

श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे (रावेर): डी.जी.टी. ने 2018 से 2022 तक आई टी आई ट्रेड्स/यूनिट्स में जीरो एडमिशन किए है। ऐसी सभी संस्थाओं को बंद तथा डी.जी.टी. आफ़ीलीएशन रद्द करने हेतु सर्वे करने के लिए सभी राज्यों को सूचित किया है। इन गत पांच वर्षों में 30000 आई टी आई ट्रेड्स/यूनिट्स जो डी.जी.टी. आफीलीएशन प्राप्त थे, बंद हुए हैं ऐसे यूनिट्स बंद होने से करीब करीब 6.5 लाख से भी ज्यादा विद्यार्थियों को इस लाभ से वंचित रहना पड़ा है । अनेक वर्षों से आधारभूत सुविधा स्वयं पूंजी/सोर्सेज से जमा कर आई टी आई ट्रेड्स/यूनिट्स प्राइवेट संस्था का निर्माण पूरे देश में हुआ है जिसका लाभ गरीब तथा ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को गत अनेक वर्षों से होता दिखता है। इन सभी आई टी आई संस्थाओं को कोई सरकारी अनुदान/सहायता किसी भी प्रकार से कभी भी उपलब्ध नहीं थी। ऐसी संस्थाएं अगर इस डी.जी.टी. की नई पॉलिसी प्रस्तावित होने से बंद होती है तो गरीब तथा ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों हेतु स्वयं-रोजगार निर्मित करने का यह प्रभावी साधन है और इससे इन गरीब परिवारों का बड़ी मात्रा में नुकसान होगा तथा इन संस्थाओं से जुड़े/प्राप्त अनेक व्यक्ति बेरोजगार हो सकते है, अकेले महाराष्ट्र राज्य में इन संस्थाओं से जुड़े करीब करीब 10000 से ज्यादा लोक/परिवार संस्थाएं बंद होने से बेरोजगार/बेघर हो सकते है। मेरा सरकार से तथा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि यह पॉलिसी कार्यान्वित करने के बारे में पुनर्विचार करें जो अभी सर्वे की स्टेज पर है और इन संस्थाओं को कुछ ज्यादा समय इस स्थिति को सुधार करने के लिए उपलब्ध करायें।

(पांच) देवरिया जिले में देवराही माता मंदिर को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता

डॉ. रमापति राम त्रिपाठी (देवरिया): मेरें लोकसभा क्षेत्र देवरिया जिला मुख्यालय के बारे में ऐसी जनभावना एवं जनश्रुति है इसका देवरिया नाम जिले में स्थित अत्यंत प्राचीन मंदिर देवरही माता के नाम पर रखा गया है। देवरही माताजी का मंदिर बहुत ही प्राचीन है जिस पर आमजन की अटूट आस्था एवं विश्वास है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए आते हैं लेकिन उसका विकास जिस प्रकार से होना चाहिए वह नहीं हो पाया है। पर्यटन की दृष्टि से वह स्थान एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल के रूप में स्थापित किया जा सकता है। अतः मैं पर्यटन विभाग मंत्री जी से मांग करता हूँ कि इसके विकास के लिए मन्दिर से संबंधित पौखारे का सौन्दर्यकरण करते हुए इसमे फव्वारा लगाने तथा यहाँ यात्रियों के विश्राम के लिए एक विश्राम भवन बनवाने की कृपा की जाए जिससे यह स्थान एक ऐतिहासिक महत्व के रूप आकर्षक बन सके।

(छह) ओडिशा के जलेश्वर में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की स्थापना के बारे में

[अनुवाद]

प्रताप चंद्र षडङ्गी (बालासोर): चावल कई राज्यों में एक मुख्य भोजन होने के नाते भारतीयों विशेष रूप से ओडिशा के लिए बहुत महत्व रखता है। ओडिशा के लगभग 63% हिस्से में चावल की खेती होती है और हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चावल की खेती हमारे लोगों के लिए आय और रोजगार का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसलिए, मेरा दृढ़ विश्वास है कि जलेश्वर, ओडिशा में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (एन.आर.आर.आई.) की स्थापना कृषि उत्पादकता बढ़ाने और चावल की खेती के लिए टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान देगी। इसके अतिरिक्त हमारे राज्य में बार-बार आने वाली बाढ़, कम वर्षा और नकदी फसलों के लिए समर्थन की कमी से उत्पन्न चुनौती को देखते हुए आनुवंशिक अनुसंधान और प्रजनन कार्यक्रमों में एन.आर.आर.आई. के प्रयासों से वांछनीय गुणों के साथ चावल की नई किस्मों का विकास हो सकता है। ये नवाचार हमें जलवायु परिवर्तन और अन्य पर्यावरणीय कारकों द्वारा उत्पन्न बाधाओं को दूर करने में समर्थ बनाएंगे। जलेश्वर में एन.आर.आर.आई. की स्थापना से चावल की उत्पादकता में तेजी से सुधार हो सकता है और किसानों को वित्तीय घाटे से बचने के लिए चावल की खेती की बेहतर योजना बनाने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा एक ऐसे राज्य के लिए जो चावल पर अत्यधिक निर्भर है, एन.आर.आर.आई. आधुनिक प्रौद्योगिकियों और प्रथाओं को अपनाने के लिए किसानों को सशक्त बनाने में अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान देगा, जिससे उत्पादकता में वृद्धि, बेहतर आय और समग्र ग्रामीण विकास होगा। इसलिए, मैं माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री से जलेश्वर में एक राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की स्थापना पर विचार करने का अनुरोध करता हूं।

(सात) माल्दहा उत्तर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गंगा और फुल्हर नदियों के कारण बाढ़ और मृदा अपरदन के बारे में

[हिंदी]

श्री खगेन मुर्मु (माल्दहा उत्तर): मै भूतपूर्व प्रधानमन्त्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी की महत्त्वाकांक्षी योजना " नदी जोडो अभियान " को बढ़ाने के लिये आदरणीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जी एंव जल संसाधन मन्त्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। आपने जल मार्गों का विकास करते हुये व्यापारियों, किसानों को बहुत बड़ी राहत दी है। जल संसाधनों का उपयोग करते हुये किसानों की आय बढ़ी है और देश सूखे और अकाल की स्थिति से उबर चुका है। इसके लिये मैं अपने क्षेत्र की जनता की ओर से आपको बार बार साधुवाद देता हूं। मै पश्चिम बंगाल के मालदा उत्तर लोक सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं और अपने क्षेत्र की नदियों के कारण हो रहे कटान और बाढ़ की समस्या की ओर माननीय जल संसाधन मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। नालदा जिले का अधिकांश भाग गंगा और फुल्हर नदियों के किनारे बसा हुआ है। इन नदियों के कटान के कारण हजारों एकड़ उपजाऊ जमीन नदियों में समा चुकी है। इसके अलावा रिहायशी गांवों महान्दा टोला, भिलाईमारी, कहला, देवीपुर, उत्तर-दक्षिण भकुरिया इत्यादि का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। यही स्थिति ग्राम पंचायत जंजाली टोला, खास्साबरना, रामायणपुर, रोहीमारी इत्यादि गांवों की भी है। मेरे संसदीय क्षेत्र की जनता गंगा और फुल्हेरा की कटान और बाढ़ दोनो से ग्रसित है। उपजाऊ जमीने नदियों में विलीन हो रही हैं। मैने बार बार केन्द्र और राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया है, पर इस पर कोई ठोस कार्यवाही नही हो पायी है। मैं आग्रह करूंगा कि कटान से बचाव के लिये ठोस कार्ययोजना बनायी जाये। बाढ़ से बचाव हेतु नदियों के किनारे तटबन्ध बनाये जायें। कटान से पीड़ित लोगों को मुआवजा दिया जाये और उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाये। इसका आकलन करने के लिये केन्द्र सरकार के अधिकारियों की टीम भेजी जाये। केन्द्रीय जल आयोग का एक कार्यालय मालदा में खोला जाये जो सक्रिय होकर इस दिशा में ठोस कार्य करे।

(आठ) गंगानगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल केंद्रीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री निहाल चन्द चौहान (गंगानगर): मैं आपका ध्यान पिछले कई दिनों से हिमाचल व पंजाब राज्यों में हो रही भारी वर्षा की ओर आकर्षित करना चाहूँगा, जिसके कारण मेरे संसदीय क्षेत्र गंगानगर के अंतर्गत हनुमानगढ़, सूरतगढ़, पीलीबंगा, टिब्बी आदि क्षेत्रों में बहने वाली घग्घर नदी में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है । हरियाणा के ओ.टू. हेड से पिछले कई दिनों से लगातार घग्घर नदी में पानी की आवक हो रही है । अत्यधिक पानी की आवक होने से घग्घर नदी के निचले इलाकों में बाढ़ के हालात बने हुए है । खेतों के डूबने से बाढ़ का असर फसलों पर भी हो रहा है । आमजन के साथ-साथ क्षेत्र के किसानों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है । स्थानीय प्रशासन व ग्रामवासी मिलकर स्थिति से निपटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अचानक हालात खराब होने की स्थिति में प्रशासन को बड़े स्तर पर राहत कार्य करने में परेशानी होगी । अत: मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में उपजे इन बाढ़ के हालातों को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द केन्द्रीय सहायता पहुँचाने का कष्ट करें ।

(नौ) छत्तीसगढ़ के रायपुर में एम्स के संकाय सदस्य के कथित उत्पीड़न की जांच की आवश्यकता

श्री मोहन मंडावी (कांकेर): आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) रायपुर का एक गम्भीर मसला सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। एम्स, रायपुर के संकाय सदस्यों की प्रताड़ना को लेकर मैं पहले भी पत्राचार के माध्यमों से अवगत कराता रहा हूँ। दिल्ली एम्स से अनुभव प्राप्त कर रायपुर एम्स में कार्यरत् संकाय सदस्य डॉ राधाकृष्ण रामचंदानी जी एवं उनकी पत्नी को कथित रूप से प्रताड़ित कर नौकरी छोड़ने पर विवश करने का मामला सज्ञान में आया है। यह मामला रूल्स 14 सेन्ट्रल सिविल सर्विसेस का दुरूपयोग कर, कर्मठ, ईमानदार सरकारी प्रशासनिक सेवा में लोगों के प्रति अन्यायपूर्ण साजिश के तहत नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर करने का प्रयास है।

मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के सपनों का एम्स संस्थान जिनके स्वास्थ्य व्यवस्था के रीढ़ की हड्डी चिकित्सकों को कथित रूप से प्रताड़ित कर नौकरी छोड़ने के मामले को केन्द्रीय स्वास्थ्य समिति के जाँच दल द्वारा जाँच करने का अनुरोध करता हूँ।

(दस) छत्तीसगढ़ में 'हर घर नल योजना' के क्रियान्वयन के बारे में

श्री सुनील कुमार सोनी (रायपुर): मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश की एक अति आवश्यक मांग माननीय जल संसाधन मंत्री जी के समक्ष रखना चाहता हूँ। केन्द्र सरकार की अग्रणी योजना जल ग्रहण मिशन के संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य की वर्तमान स्थिति के परिप्रेक्ष्य में अवगत कराना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा अनुरूप केन्द्र सरकार की हर घर नल योजना के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ राज्य काफी पीछे चल रहा है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा जल ग्रहण मिशन के अंतर्गत टेण्डर जारी कर उन्हें फिर से निरस्त कर फिर टेण्डर जारी करने की प्रक्रिया की जा रही है। अनेक गांव में पानी टंकी बना दी गई है किन्तु वहां पानी का स्त्रोत ही नहीं है। कार्य में स्थायित्व नहीं होने के कारण से पाईपलाईन बिछाने का काम विलंब से चल रहा है। जिसके कारण से केन्द्र की इस अग्रणी योजना का लाभ छत्तीसगढ़ के निवासियों को समय पर मिल पाना संभव प्रतीत नहीं होता है।

अतः मेरा माननीय जल संसाधन मंत्री जी से निवेदन है कि केन्द्र की उक्त योजना का छत्तीसगढ़ राज्य के संदर्भ में उचित दिशा निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

(ग्यारह) नॉर्थ कोयल जलाशय परियोजना के निर्माण में तेजी लाए जाने और परियोजना के कारण विस्थापित लोगों को मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू): उत्तरी कोयल जलाशय (मंडल डैम) की परियोजना का निर्माण कार्य वर्ष 1972 में आरम्भ हुआ था जो 1993 तक जारी रहा परंतु 1993 के बाद कतिपय कारणों से उक्त परियोजना का कार्य बंद हो गया। वर्ष 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने 1622 करोड़ रूपये की लागत से इस परियोजना के "निर्माण की स्वीकृति प्रदान की। परियोजना का कार्य वाप्कोस कंपनी को मिला। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने 5 जनवरी 2019 को उक्त परियोजना के निर्माण की आधारशिला पलामू जाकर रखी जिसके बाद पलामू प्रमंडल के साथ-साथ बिहार के औरंगाबाद एवं गया जिले की जनता के मन में मंडल डैम परियोजना का निर्माण कार्य फिर से शुरू होने की आस जगी है। परन्तु मुआवजे और पुनर्वास की मांग को लेकर हुए आंदोलन एवं राज्य सरकारों की उदासीनता के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जा सका है जिससे जनता के मन में तरह-तरह की भ्रांतियां फैल रही हैं। अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि मुआवजे की राशि प्रदान कराते हुए उक्त परियोजना का कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराने की कृपा की जाये।

(बारह) सोशल मीडिया को विनियमित किए जाने की आवश्यकता

श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे (लातूर): युवा पीढ़ी व बच्चों पर सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव के परिणाम नजर आने लगे हैं। लंबे समय तक सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने से बच्चे व युवा अक्सर अपने दोस्तों और परिवार से दूर जाते हैं और वास्तविक जीवन में समाजिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं लेते तथा पढ़ाई और अध्ययन के लिए उचित समय नहीं निकाल पाते। बच्चे व युवा अब शारीरिक खेलों और मनोरंजन के बजाय वीडियो गेम, यूट्यूब आदि का प्रयोग अधिक करते हैं, जिससे युवा वर्ग शारीरिक और मानसिक तौर पर कमजोर हो रहा है। निष्क्रियता और सामाजिक असमर्थता: इससे उन्हें सामाजिक असमर्थता की समस्या हो सकती है, जिससे उन्हें नए रिश्तों को बनाने में दिक्कत हो सकती है। सोशल मीडिया का उपयोग बच्चों और युवाओं को चिड़चिड़ा बना रहा है और उनमें चिंता और अवसाद की स्थिति पैदा कर रहा है, जिसके कारण वे आत्महत्या तक के कदम उठा लेते हैं। सोशल मीडिया में लिप्त युवा व बच्चे हैकिंग, आइडेंटिटी को चोरी, फ़िशिंग अपराध इत्यादि जैसे साइबर अपराधों के शिकार हो सकते हैं। इसी कारण चीन, ईरान, नार्थ कोरिया, न्यामांर, रूस, तुर्कमेनिस्तान व युगांडा आदि देशों ने तो सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यही नहीं भारत सहित कई देशों को भी कतिपय सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे टिक टॉक पर प्रतिबंध लगाना पड़ा है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि भारत में भी सोशल मीडिया को विनियमित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं ताकि हमारी युवा पीढ़ी व स्कूली बच्चों को इसके नकारात्मक दुष्प्रभावों से बचाया जा सके तथा उनका उज्जवल भविष्य सुनिश्चित किया जा सके।

(तेरह) महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में संलिप्त अपराधियों को दण्डित करने हेतु कड़े कानून का उपबंध किए जाने के बारे में

श्रीमती जसकौर मीना (दौसा): राजस्थान में महिलाओं और बेटियों पर चिंताजनक परिस्थितियों में अत्याचार बढ़ रहे हैं। प्रतिदिन 16 या 17 बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। पिछले 4 सालों में आंकड़ा 10,000 को भी पार कर चुका है। मेरे संसदीय क्षेत्र में अनेकों घटनाएं हुई और हाल ही में करौली, ओसियां, कोटा व देश के मणिपुर की आदिवासी बहनों पर किए गए जुल्म मानवता पर कलंक है। कठोर दंड के प्रावधान देश और प्रदेशों के कानून में होने आवश्यक हो गए हैं। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार करने वाले दोषियों के लिए कठोर दंड के प्रावधान की मांग करती हूँ।

(चौदह) पश्चिम बंगाल के राधिकापुर में भूमि आव्रजन जांच चौकी को पुनः खोले जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

सुश्री देबाश्री चौधरी (रायगंज): मैं माननीय गृह मंत्री का ध्यान पश्चिम बंगाल के राधिकापुर में भूमि आव्रजन चेक पोस्ट को फिर से खोलने की आवश्यकता की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। गृह मंत्रालय ने मार्च 2020 के महीने में, कोविड-19 महामारी के कारण पश्चिम बंगाल में आने वाले यात्री आवागमन के लिए समुद्री बंदरगाहों/भूमि चौकियों सहित सभी भूमि आव्रजन जांच चौकियों को बंद करने का निर्देश दिया था। गृह मंत्रालय ने राधिकापुर में भूमि आव्रजन चेक पोस्ट को फिर से खोलने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से भी टिप्पणी मांगी है और राज्य सरकार ने कोई जवाब नहीं भेजा है। इसलिए, मुद्दे के महत्व को ध्यान में रखते हुए, मैं केंद्र सरकार से पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश देने का अनुरोध करती हूं कि वह राधिकापुर में भूमि आव्रजन चेक पोस्ट को तुरंत फिर से खोलने में मदद करे।

(पंद्रह) ग्वालियर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रदूषित जल के कारण कैंसर रोगियों के बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए उपचारी उपाय किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री विवेक नारायण शेजवलकर (ग्वालियर): ग्वालियर लोक सभा क्षेत्र की भितरवार विधानसभा के अंतर्गत आने वाले घाटीगांव ब्लॉक के ग्राम बरई, पनिहार एवं आस-पास के गांवों में लगातार कैंसर रोगियों की संख्या बढ़ रही है। मेरे संज्ञान में आया है कि जलशक्ति मंत्रालय के भू-जल बोर्ड की टीम ने इस क्षेत्र में कैंसर रोगियों की बढ़ती संख्या के कारणों को जानने के लिये सर्वे किया था। इस सर्वे रिपोर्ट में पाया गया है कि यहां के पानी में कैंसर कारक तत्व है जिनसे कैंसर रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दूषित जल के चलते पर्यावरण के भी नुकसान होने की आशंका बनी हुई है। मेरा माननीय जलशक्ति मंत्री जी से आग्रह है कि सर्वे टीम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर आपके मंत्रालय द्वारा की जा रही कार्यवाही से अवगत कराने हेतु संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करने एवं जल्द से जल्द इस समस्या के निराकरण हेतु आवश्यक कदम उठाने की कृपा करें जिससे इस क्षेत्र नें बढ रहे कैंसर रोगियों की संख्या को रोका जा सके।

(सोलह) पश्चिम बंगाल में चुनाव संबंधी हिंसा के बारे में

श्रीमती लॉकेट चटर्जी (हुगली): किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जहां नागरिक अपने मत का उपयोग कर अपने प्रतिनिधियों का चयन करते हैं। परन्तु पश्चिम बंगाल में निरंतर चुनावों से पूर्व, चुनाव और मतगणना के दिन के साथ साथ उसके बाद भी हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा जहां एक और चुनाव स्वस्थ लोकतंत्र का पर्याय है वहीं पश्चिम बंगाल में चुनाव की घोषणा होते ही हिंसा, आगजनी आरंभ हो जाती है। मानो यह चुनाव की नहीं अपितु युद्ध और अपराध की घोषणा हो।

पूर्व में हुए विधानसभा चुनाव और उसके बाद हुई हिंसा को अभी बंगाल और देश के लोग भूल भी नहीं पाए थे कि फिर पंचायत चुनाव की घोषणा होते ही हत्या, आगजनी का भयावह चक्र फिर से शुरू हो गया।

(सत्रह) केरल के मुथलापोझी फिशिंग हार्बर में हुई घातक दुर्घटनाओं के बारे में

[अनुवाद]

एडवोकेट अदूर प्रकाश: केरल में मुथलापोझी मछली पकड़ने के बंदरगाह में लगातार हो रही घातक दुर्घटनाएँ तत्काल चिंता का विषय है। यहां ब्रेकवाटर के निर्माण के बाद से विभिन्न दुर्घटनाओं में उनसठ मछुआरों की जान चली गई है और 700 घायल हो गए हैं। 10 जुलाई, 2023 को बंदरगाह में नाव पलटने से चार लोगों की मौत हो गई। आरोप है कि पुलिमुत्तु का अवैज्ञानिक निर्माण यहां दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है। मैंने इस मुद्दे को कई बार लोकसभा में और केंद्र सरकार को पत्र लिखकर उठाया था। इसके बाद केरल सरकार से एक रिपोर्ट मांगी गई थी जिसमें राज्य ने बंदरगाह में सुरक्षा मुद्दों से इनकार किया था। लेकिन बार-बार हो रही दुर्घटनाओं से दोषपूर्ण निर्माण का पता चलता है और बिना किसी देरी के सुधारात्मक कार्रवाई करना आवश्यक है। मैं केंद्र सरकार से स्थिति की समीक्षा के लिए जल्द से जल्द विशेषज्ञों की एक केंद्रीय टीम भेजने का अनुरोध करता हूं। स्थायी बचाव अभियान दल मुथलापोझी को तैनात करना आवश्यक है। बंदरगाह में एक स्थायी बचाव अभियान दल तैनात करके कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। मैं सरकार से यह भी अनुरोध करता हूं कि वह दुर्घटना में पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने पर विचार करे।

(अठारह) पुडुचेरी और कराईकल के ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए तटवर्ती ग्रेनाइट पत्थर बैरियर के निर्माण की आवश्यकता

श्री वी. वैथिलिंगम (पुडुचेरी): पुडुचेरी और कराईकल क्षेत्रों के तटीय क्षेत्रों में समुद्री कटाव पिछले कुछ दशकों से एक नियमित घटना बन गई है। शहरी बस्ती की सुरक्षा के लिए व्हाइट टाउन क्षेत्र में लगभग दो किलोमीटर तक समुद्री दीवार और ग्रोइन्स का निर्माण किया गया है। समुद्री कटाव के कारण तटीय गांव बहुत बुरी तरह प्रभावित होते हैं। स्थानीय शासन उचित योजना और अध्ययन के बिना यहां-वहां कुछ समुद्री कटाव रोधी कार्य कर रही है जिसके कारण परिहार्य व्यय हो रहा है। हाल ही में समुद्र का पानी तट के किनारे स्थित मछुआरों के घरों में घुस गया। पुडुचेरी और कराईकल के तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए तत्काल व्यापक योजना की आवश्यकता है। मैं केंद्र सरकार से स्थिति का आकलन करने और तटीय गांवों की सुरक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई करने का अनुरोध करता हूं। मैं मछुआरों और उनके घरों के जीवन को बचाने के लिए विस्तृत अध्ययन करने और इन तटीय गांवों के तट पर ग्रेनाइट पत्थर की बाधा का निर्माण करने का अनुरोध करता हूं।

(उन्नीस) केरल के ओट्टापलम एवं पट्टाम्बी में रेलगाड़ी के ठहराव के बारे में

श्री वी.के. श्रीकंदन (पलक्काड): ओट्टापलम में एर्नाकुलम-बंगलौर-एर्नाकुलम इंटरसिटी एक्सप्रेस के ठहराव की मांग की जा रही है क्योंकि यह केरल और बंगलौर के बीच दिन मे चलने वाली एकमात्र ट्रेन है, जिसके लिए बंगलौर से यात्रा करने वाली महिलाएं और बच्चे सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस ट्रेन से यात्रा करना पसंद करते हैं। लोगों को अब इस ट्रेन में चढ़ने के लिए ओट्टापलम से 32 कि.मी. दूर पालक्काड़ जाना पड़ रहा है। पट्टांबी में कन्नूर-एर्नाकुलम इंटरसिटी एक्सप्रेस के ठहराव की भी मांग की गई है। पट्टांबी केरल का एक प्रसिद्ध वाणिज्यिक केंद्र है और घनी आबादी वाली नगर पालिका भी है। पट्टांबी से प्रतिदिन सैकड़ों लोग आते-जाते हैं। यदि उक्त ट्रेन का ठहराव प्रदान किया जाता है, तो यह रेलवे के लिए अधिक राजस्व अर्जित करने के लिए एक वरदान होगा और साथ ही यह पट्टांबी के लोगों या पट्टांबी आने वाले लोगों के लिए एक बड़ी मदद होगी। ये दोनों स्टेशन दक्षिणी रेल के पालक्काड़ मंडल के अंतर्गत आते हैं। मैं इस मुद्दे को उपलब्ध सभी मंचों पर उठाता रहा हूं, लेकिन उपरोक्त पर निर्णय आना अभी बाकी है। मैं माननीय रेल मंत्री से उक्त ट्रेनों को ओट्टापलम और पट्टांबी में तत्काल ठहराव प्रदान करने का अनुरोध करता हूं।

(बीस) केंद्र सरकार की सेवाओं में भर्ती के लिए तमिल भाषा में विभिन्न परिक्षाएं आयोजित करने और तमिलनाडु के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

श्री सी. एन. अन्नादुरई (तिरुवन्नामलाई): केंद्र सरकार की सेवाओं में भर्ती के लिए तमिल भाषा में विभिन्न परीक्षाएं आयोजित किए जाने और तमिलनाडु के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की आवश्यकता है तमिलनाडु में तकनीकी और शैक्षणिक दोनों क्षेत्रों में तुलनात्मक रूप से उच्च ज्ञान और कौशल के साथ अधिक मानव संसाधन हैं जिनका उचित उपयोग किया जा सकता है। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा इस वर्ष दक्षिणी क्षेत्र में कई पदों के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनित अधिकांश व्यक्ति तमिलनाडु से नहीं हैं। इससे राज्य के बेरोजगार युवाओं में भारी निराशा है। इस प्रणाली को विभिन्न संघ भर्ती एजेंसियों द्वारा तमिल भाषा में भी आयोजित करने की सुविधा प्रदान की जा सकती है जो तमिलनाडु के उम्मीदवारों के लिए सहायक होगी। मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह तमिलनाडु के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए।

(इक्कीस) उलुबेरिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में शटलकॉक निर्माताओं के समक्ष आ रही समस्याओं के बारे में

श्रीमती साजदा अहमद (उलुबेरिया): मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र उलुबेरिया में शटलकॉक निर्माताओं की स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहूंगी। उलुबेरिया लंबे समय से शटलकॉक उत्पादन के मुख्य केंद्र के रूप में प्रसिद्ध रहा है, जिसमें पंख उद्योग भी 40 वर्षों से अधिक समय से फल-फूल रहा है। दुर्भाग्य से इस क्षेत्र के अधिकांश निर्माता असंगठित हैं जो लगभग 6,000 व्यक्तियों को रोजगार देते हैं। उलुबेरिया में शटलकॉक निर्माता कई चुनौतियों से जूझ रहे हैं जिन पर भारत सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहली चिंता बांग्लादेश से पंखों के आयात में अचानक आई रुकावट है, जिससे पंखों की उपलब्धता प्रभावित हो रही है। इसके अलावा, शटलकॉक पर 12% माल और सेवा कर (जी.एस.टी.) लगाने से लागत में और वृद्धि हुई है, नतीजतन, चीनी कंपनियों ने "मेक इन इंडिया" और "आत्मनिर्भर भारत" के सिद्धांतों को कमजोर करते हुए बाजार के एक बड़े हिस्से पर तेजी से कब्जा कर लिया है। मैं सरकार से विशेष रूप से बांग्लादेश से बत्तख के पंख के आयात की अनुमति देने और निर्माता को ऋण सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए इस गंभीर मुद्दे के समाधान के लिए तुरंत हस्तक्षेप करने का अनुरोध करती हूं।

(बाईस) आंध्र प्रदेश में कोटिपल्ली-नरसापुर रेलवे लाइन के पूरा होने के बारे में

श्री रघु राम कृष्ण राजू (नरसापुरम): कोटिपल्ली-नरसापुरम की नई प्रस्तावित रेलवे लाइन 57.2 किलोमीटर की है, जिसे कोनासीमा रेल लाइन के नाम से जाना जाता है, जिसे 2001 में तत्कालीन लोक सभा अध्यक्ष श्री जी.एम.सी. बालयोगी द्वारा शुरू किया गया था। लेकिन इसके बाद इसमें कोई खास प्रगति नहीं हुई। 2014 में सरकार द्वारा इस रेल लाइन के निर्माण में तेजी लाई गई। यह रेल लाइन कोटिपल्ली से मागाम, अमलापुरम, पेरुरू, पसरलापुडी, जग्गन्ना पेटा, राजोलू, चिनचिनाडा होते हुए 3 नगर पालिकाओं के साथ नरसापुरम कस्बों तक जाती है। इस परियोजना में तीन पुल हैं जिनकी लंबाई क्रमशः 1.47 किलोमीटर, 3.55 किलोमीटर और 1.49 किलोमीटर है। अब तक करीब 1200 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और 60 फीसदी काम पूरा हो चुका है। 2019 के बाद से रेलवे लाइन का काम कछुआ गति से चल रहा है। राज्य सरकार के हिस्से की 25% धनराशि जारी न होने के कारण यह जनवरी 2023 में बंद हो गई। 2023 के बजट में इस परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। हालांकि राज्य सरकार रेल लाइन को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन वित्तीय संकट के कारण इसमें मुश्किल आ रही है। केंद्र सरकार इस परियोजना पर करीब 1200 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है, जहाँ काम रुका हुआ है| बढ़ती कीमतों को देखते हुए मेरा सुझाव है कि मंत्रालय पर्याप्त धनराशि लगाकर शेष कार्य पूरा करे, जिसे राज्य सरकार को जारी किए जाने वाले जी.एस.टी. फंड से समायोजित किया जा सकता है ताकि समय और धन की बचत हो और कोनासीमा के लोगों की इच्छा को भी पूरा किया जा सके।

(तेईस) छात्रों के प्रवासन को रोकने के लिए देश में उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2022 में हमारे देश से 7,50,365 छात्र विदेशी विश्वविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा लेने हेतु विदेश गए जबकि वर्ष 2021 की तुलना में इसमें 68% की भारी वृद्धि हुई है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ये प्रतिभाशाली छात्र देश में उच्च शिक्षा क्यों नहीं लेना चाहते हैं। विदेशों में शिक्षा लेने के पश्चात इनका देश के प्रति क्या योगदान रहेगा। हम ऐसा शिक्षण संस्थान क्यों नहीं बना पा रहे है कि ये प्रतिभावान छात्र देश में ही शिक्षा लें। आज के समय में यदि प्रति छात्र लगभग 1 करोड़ खर्च हो रहा है तो शिक्षा के नाम पर कितना पैसा देश से बाहर विदेशों में जा रहा है। इसके अतिरिक्त यह भी विषय है कि यदि ये प्रतिभावान छात्र विदेशों में शिक्षा लेने के बाद वहीं नौकरी हेतु बस गए तो हम देश के प्रतिभावान नवयुवको को खो देंगे। दूसरी ओर, जबकि ये बच्चे मूल रूप से बुद्धिमान हैं, वे इस देश की सामाजिक व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली को इनकी आवश्कता है। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस गंभीर विषय पर विचार करे तथा देश में ऐसे संस्थानों का निर्माण किया जाए जिससे इन प्रतिभावान छात्रों को देश में ही यह शिक्षा प्राप्त हो सके।

(चौबीस) बिहार के औरंगाबाद जिले के पुनपुन नदी पर पुल निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री महाबली सिंह (काराकाट): मैं सरकार का ध्यान पुनपुन नदी पर पुल बनाने के संबंध में आकर्षित करना चाहता हूँ। मेरे संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत औरंगाबाद जिला के गोह प्रखंड के पंचायत- मीरपुर के ग्राम - अंकुरी और हसपुरा प्रखण्ड के पंचायत नलहरा के ग्राम- जखौरा के बीच में पुनपुन नदी पर पुल नहीं बनाने के कारण नाव से इस पार से उस पार जाने के कारण लगातार सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो चुकी है। जबकि नदी के इस पार और उस पार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) रोड भी है, ये पुल बन जाने पर गोह प्रखंड और हसपुरा प्रखंड की दूरी काफी कम हो जाएगी, और देवकुंड तीर्थ धाम एव अरवल होते हुए पटना जाने में काफी आसानी होगी । यह क्षेत्र नकस्ल प्रभावी क्षेत्र है नक्सली गतविधियों पर काबू पाने में पुलिस को भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पुल के अभाव में नक्सली अपने कार्यो में सफलता पा जाते हैं।

अत: मैं सरकार से मांग करता हूँ कि ग्राम- अंकुरी और ग्राम- जखौरा के बीच में पुनपुन नदी पर पुल अतिशीघ्र बनाया जाए।

(पच्चीस) ओडिशा के क्योंझर जिले में जनजातीय लोगों के लिए शैक्षणिक सुविधाओं के बारे में

[अनुवाद]

कुमारी चंद्राणी मुर्मू (क्योंझर): महान संत स्वामी विवेकानन्द ने कहा था, "यदि लोगों को स्वयं अपनी सहायता करना नहीं सिखाया गया तो दुनिया की सारी संपत्ति भी एक छोटे से भारतीय गांव की मदद नहीं कर सकती। हमारा काम मुख्य रूप से शैक्षिक, नैतिक और बौद्धिक दोनों होना चाहिए।" आजादी के 75 साल बाद भी हमारे देश के हर गांव और समुदाय तक शिक्षा नहीं पहुंच पाई है। इस भूमि के मूल निवासी यानी आदिवासी उचित शिक्षा से वंचित हैं। क्योंझर जो कि ओडिशा का एक आदिवासी बहुल खनन क्षेत्र है, वहां उचित शिक्षा की बहुत कम सुविधाएं हैं। गरीब आदिवासियों को शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाना चाहिए। अवर स्नातक स्तर की पढ़ाई के लिए औपचारिक शिक्षा और प्रशिक्षण दोनों की अच्छी सुविधा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है। ऐसे विद्यालय बनाये जाने चाहिए जहाँ तक लड़के और लड़कियों की पहुँच आसान हो। सरकार को हमें आदिवासी समुदाय को शिक्षित करने में मदद करने की अपनी योजना बतानी चाहिए। मैं सरकार और माननीय जनजातीय मामलों के मंत्री से गरीब जनजातीय समुदाय को उचित शिक्षा प्रदान करने के लिए ठोस कदम उठाने का अनुरोध करती हूं। अंत में, मैं एक बार फिर स्वामी विवेकानन्द को उद्धृत करूंगी, स्वामीजी ने कहा था, "यदि गरीब लड़का शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता, तो शिक्षा उसके पास अवश्य जानी चाहिए।"

(छब्बीस) दलितों पर हो रहे अत्यचारों पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री मलूक नागर (बिजनौर): पूरे देश में दलित उत्पीड़न की घटनाओं की बाढ़ आ गयी है। मणिपुर में व राजस्थान में करौली जनपद में एक 19 साल की दलित युवती के साथ गैंगरेप और उसके चेहरे को एसिड से जला कर गोली मारकर हृदय विदारक घटना घटित हुई है। यदि समय रहते युवती के परिवार के लोगों की बात पुलिस महकमा गंभीरता से लेता और कार्यवाही करता तो शायद उस युवती की जान बच जाती। इस घटना की जिम्मेदारी आरोपियों और पुलिस दोनों की है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में एक विशेष समुदाय लोगों द्वारा केवल शंका के आधार पर दो दलित युवकों को जूता की माला पहना कर उनके मुंह में मलमूत्र भर कर तथा सीधी जिले में एक आदिवासी युवक पर पेशाब करने का मामला सामने आया है, जो एक अमानवीय कृत्य है, एक तरफ वर्तमान सरकार द्वारा पिछड़े और दलितों के लिए हितैषी होने का नाटक करना और वही दूसरी तरफ दलित वर्ग के लोगों के ऊपर जुल्म और ज्यादती करना, इनके दोहरे चरित्र का घिनौना रूप है यदि वास्तव में यह सरकार दलित हितैषी है तो यथाशीघ्र पूरे देश में दलित उत्पीड़न की हो रही घटनाओं को अविलम्ब रोके जाने और घटित घटनाओं में आरोपियों के खिलाफ कठोरतम कार्यवाही की जाये।

(सत्ताईस) खगड़िया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रेलवे स्टेशनों पर रेलगाड़ी का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता

चौधरी महबूब अली कैसर (खगड़िया): मैं भारत सरकार का ध्यान खगड़िया लोक सभा की अति महत्वपूर्ण समस्या पर ले जाना चाहता हूं। खगड़िया लोक सभा क्षेत्र से 7 नदियां गुजरती हैं, जो क्षेत्र को कई भागों में बांट देती हैं। इसलिए हमारे क्षेत्र में महत्वपूर्ण यातायात का साधन रेल है। खगड़िया से रेल की 6 लाइन बेगूसराय, सेरासा, जमालपुर, नवगछिया, हसनपुर तथा अलौली जिलों की दिशा की ओर निकलती है। खगड़िया स्टेशन रेलवे को अच्छे रेवेन्यू देने वाले स्टेशन में से है। यहां से तीन राजधानियां गुजरती हैं, परंतु किसी का ठहराव खगड़िया स्टेशन पर नहीं है। अतः रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि खगड़िया स्टेशन पर 12423/12424 न्यू दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस, सिमरी बख्तियारपुर स्टेशन पर 12553/12554 वैशाली एक्सप्रेस, गोचरी स्टेशन पर 15713/15714 कटिहार पटना एक्सप्रेस, पसराहा रेलवे स्टेशन पर 13247/13248 कैपिटल एक्सप्रेस एवं 28181/28282 कटिहार टाटानगर एक्सप्रेस, कोपरिया स्टेशन पर 13205/13206 जनहित एक्सप्रेस तथा हसनपुर रोड स्टेशन पर 12523/12524 न्यू जलपाईगुड़ी न्यू दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस का ठहराव जनहित में किया जाए। इन ट्रेनों का ठहराव पूरे क्षेत्र के लिए अति आवश्यक है।

(अड्डाईस) मणिपुर में हिंसा की हाल की घटना के बारे में

[अनुवाद]

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले (बारामती):महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों में देरी से लेकर मणिपुर में जातीय हिंसा तक आरक्षण पूरे भारत में विवाद का मुद्दा बन गया है। जून 2023 में मणिपुर में 142 मौतें हुईं और जुलाई में भी इस आंकड़े में कमी आने का कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। संपत्ति के विनाश और 54,000 विस्थापनों के कारण स्थिति गंभीर बनी हुई है। मैरी कॉम की धरती पर महिलाओं के खिलाफ हिंसा चिंताजनक है। राज्य में महिलाओं को गोली मारने और बलात्कार की घटनाएं हैडलाइन बन रही हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो के प्रसार के कारण सरकार को तत्काल हस्तक्षेप करना पड़ा और फिर भी इन मामलों में गिरफ्तारी के लिए अधिकारियों को 77 दिन लग गए। मैं इस विवाद को सुलझाने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर सरकार से स्पष्टीकरण चाहती हूं। मैं उनसे संघर्षपूर्ण क्षेत्रों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक योजना बनाने और उन्हें शांति निर्माण में शामिल करने का अनुरोध करती हूं। मणिपुर की निर्भीक महिलाओं की विरासत को हमें भूलना नहीं चाहिए। उनके लिए खड़े होना हमारी जिम्मेदारी है। बेटी बचेगी, तभी तो पढ़ेगी।

(उनतीस) वस्त्र क्षेत्र को गति देने के उपायों के बारे में

श्री पी.आर. नटराजन (कोयम्बटूर): भारत में कपड़ा और परिधान क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से अभूतपूर्व वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। यह क्षेत्र प्रमुख रोजगार प्रदान करता है। वस्त्र मंत्रालय के प्रतिवेदन के मुताबिक 45 मिलियन लोग सीधे तौर पर इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और 60 मिलियन लोग संबद्धित उद्योगों में कार्यरत हैं। 2014 के बाद से इन क्षेत्रों को गंभीर झटका लगा है। कपड़ा और परिधान की वैश्विक बाजार हिस्सेदारी में काफी गिरावट आई है। यह सब उपेक्षा और गलत नीतियों के कारण हो रहा है। विमुद्रीकरण, जी.एस,टी,, बिजली की उच्च लागत, कपास और पॉलिएस्टर यार्न की उतार-चढ़ाव वाली लागत आदि भी इस क्षेत्र के विकास में कमी आने के कारण हैं। कपास पर लगाए गए 11% आयात शुल्क ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में असमान प्रतिस्पर्धा पैदा कर दी है। पॉलिएस्टर विनिर्माण क्षेत्र और मानव निर्मित फाइबर संबंधी नीतियां संकट को बढ़ाती हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संकट, मुद्रास्फीति आदि का भी इस क्षेत्र पर असर पड़ा है। बैंक कपड़ा मिलों को ऐसे समय में नया ऋण देने से इनकार कर रहे हैं जब उन्हें वित्तीय सहायता की सबसे अधिक आवश्यकता है। उद्योग को बचाने के लिए, एन.टी.सी. मिलों के माध्यम से सूती धागे और मूल्य वर्धित उत्पादों का उत्पादन, कपास पर 11% के आयात शुल्क को वापस लेना, ई.एम.आई. पर 3 साल से 6 साल तक की छूट का विस्तार, मूल राशि चुकाने के लिए एक साल की मोहलत का विस्तार, बैंकों के माध्यम से नए ऋण का प्रावधान किया जाना चाहिए और कपड़ा निर्माता संघों के परामर्श से नीतियां बनाने जैसे उपाय करने चाहिए।

———————

… (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय सभापति : आप सब लोग बैठ जाइए। कुछ चर्चाएं होनी हैं, कुछ बिलों पर चर्चा होनी है, कुछ विधायी कार्य होने हैं, जिनके लिए आप सबकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्लीज़, आप लोग बैठिए। सदन को व्यवस्थित होने दीजिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही दो बजकर तीस मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है।

<u>अपराह्न 2.02 बजे</u>

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न दो बजकर तीस मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

———————

अपराह्न 2.30 बजे

अपराह्न दो बजकर तीस मिनट पर लोकसभा पुनः समवेत हुई।

[माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

… (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप दो-तीन दिन से मणिपुर की चर्चा की बात कर रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी यहाँ पर हैं। मैं माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि वे सदन के सामने अपनी बात रखें।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठिए।

… (व्यवधान)

अपराह्न 2.31 बजे

[अनुवाद]

इस समय, श्री बी. माणिक्कम टैगोर, श्री कल्याण बनर्जी, श्री दयानिधि मारन, श्री महाबली सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

… (व्यवधान)

[हिन्दी]

गृह मंत्री तथा सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह): माननीय अध्यक्ष जी, मेरा विपक्ष के सभी सम्माननीय सदस्यों से आग्रह है कि एक बहुत संवेदनशील मुद्दे पर काफी सदस्यों ने, सत्ताधारी दल के और विपक्ष के, दोनों तरफ के सदस्यों ने चर्चा की माँग की है।... (व्यवधान) मैं सदन में चर्चा के लिए

तैयार हूँ।... (व्यवधान) मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष क्यों चर्चा नहीं करने देना चाहता है?... (व्यवधान) मेरा विपक्ष के नेता से आग्रह है कि वे चर्चा होने दें और इस महत्वपूर्ण मसले पर पूरे देश के सामने सच्चाई जाए, यह बहुत महत्वपूर्ण है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, माननीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार चर्चा करने को तैयार है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जो इस विभाग के मंत्री हैं, वे ही चर्चा में भाग लेते हैं। नयी परम्परा की माँग करना और सदन को नियोजित तरीके से नहीं चलने देना देश और राष्ट्र के हित में नहीं है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यगण से पुन: आग्रह करना चाहता हूँ कि जिन विषयों, मुद्दों पर आप चर्चा करना चाहते हैं, सरकार ने उसके लिए स्पष्ट कर दिया है कि मुद्दों पर चर्चा कराएं, समाधान कराएं ताकि हम सामूहिक चर्चा से एक बेहतर रास्ता निकालकर वहाँ की जनता की भलाई कर सकें। मैं पुन: माननीय सदस्यों से आग्रह करुँगा कि आप लोग अपनी-अपनी सीट पर विराजें।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 25 जुलाई, 2023 को 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

... (व्यवधान)

<u>अपराह्न 2.33 बजे</u>

तत्पश्चात लोक सभा मंगलवार, 25 जुलाई, 2023/03, श्रावण 1945 (शक) को पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

———

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2023 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सत्रहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित